राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर द्वारा आयोजित

AKSHANSH
PUBLICATION

CET

10+2 एवं स्नातक स्तर

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

VOLUME 13

1 जुलाई 2026 को जारी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
अभिकथन-कारण, युग्म, सुमेलित, सत्य- असत्य प्रश्नों के पैटर्न पर

सारगर्भित प्रश्नोत्तरों का संकलन

2023 एवं 2024 में आयोजित (CET 10+2 एवं स्नातक स्तर - सभी SHIFT) राजस्थान अर्थव्यवस्था के PYQ प्रश्नों का हल सहित समावेश

THEORY+ MCQ+PYQ
एक ही पुस्तक में

इरफान सर (RAS)

अक्षांश पब्लिकेशन
M. 9079798005, 6376491126
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur

व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

AKSHANSH
PUBLICATION

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित

CET

10+2 एवं स्नातक स्तर

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

THEORY+ MCQ+PYQ

VOLUME 13

"अक्षांश प्रकाशन की समस्त पुस्तकें लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अक्षांश प्रकाशन की समर्पित टीम के सहयोग से तैयार की गई हैं।"

संपादक
इरफान सर (RAS)

सह संपादक
गंगासिंह, अनोपचंद मंडा
राकेश, पप्पाराम सोलंकी

प्रकाशन
अक्षांश प्रकाशन, उदयपुर (राज.)

नोट :- अब लक्ष्य क्लासेज़ की सभी आगामी पुस्तकें केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के माध्यम से ही प्रकाशित की जाएंगी। ये सभी पुस्तकें बाजार में 'अक्षांश' नाम से ही उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी समय में 'लक्ष्य' नाम से कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। इसलिए कृपया पुस्तक खरीदते समय केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के नाम से प्रकाशित और अधिकृत पुस्तकें ही बुक स्टोर्स से प्राप्त करें, ताकि आपको प्रमाणिक, अद्यतन एवं परीक्षा-उपयुक्त सामग्री प्राप्त हो।भविष्य में 'लक्ष्य' नाम से प्रकाशित किसी भी पुस्तक की सामग्री या गुणवत्ता की जिम्मेदारी 'अक्षांश प्रकाशन' या 'लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर' की नहीं होगी।

प्रकाशन

अक्षांश प्रकाशन

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,
Main Road, Udaipur

लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करे

TELEGRAM INSTAGRAM YOUTUBE FACEBOOK WHATSAPP

बुक कोड - AP0133

©सर्वाधिकार - अक्षांश प्रकाशन
lakshyaclassesudr@gmail.com

मुख्य वितरक - लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
M. 9079798005, 6376491126

इस पुस्तक में दी गई सभी जानकारियाँ, तथ्य और सूचनाएँ सावधानीपूर्वक सत्यापित की गई हैं। फिर भी यदि किसी जानकारी या तथ्य में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए प्रकाशक, संपादक या मुद्रक जिम्मेदार नहीं होंगे।

हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक की सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से तैयार की गई है। यदि किसी प्रकार का कॉपीराइट उल्लंघन सामने आता है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं होगी।

सभी विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

अक्षांश प्रकाशन ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्त्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को अक्षांश प्रकाशन की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

विषय वस्तु

क्र. सं.	अध्याय	CET स्नातक	CET 10+2	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य के विकास में उद्योग क्षेत्र की भूमिका ❖ उद्योग ❖ कृषि आधारित उद्योग ❖ पशुपालन आधारित उद्योग ❖ खनिज आधारित उद्योग	✓	✓	1-19
2.	राज्य के विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका	✓	✓	20-28
3.	राज्य के विकास में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका	✓	✓	29-32
4.	राज्य के विकास में खनिज क्षेत्र की भूमिका	✓	✓	33-38
5.	राजस्थान की अर्थव्यवस्था – विशेषताएँ और समस्याएँ	✗	✓	39-43
6.	राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा	✗	✓	44-60
7.	हस्तशिल्प उद्योग	✓	✓	61-69
8.	बेरोजगारी एवं गरीबी	✓	✓	70-76
9.	सूखा और अकाल	✓	✓	77-81
10.	राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ एवं अधिनियम	✓	✓	82-89
11.	लघु उद्यम एवं वित्तीय और विकास की संस्थाएँ	✓	✓	90-95
12.	पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका	✓	✓	96-103
13.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	✓	✓	104-106
14.	विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM)	✓	✓	107-113
15.	CET 10+2 स्तर विगत वर्षों के प्रश्न 2023-24	✗	✓	114-119
16.	CET स्नातक स्तर विगत वर्षों के प्रश्न 2023-24	✓	✗	120-125

❑❑❑❑

राज्य के विकास में उद्योग क्षेत्र की भूमिका 01

उद्योग

◈ औद्योगीकरण किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना जाता है। उद्योग न केवल उत्पादन एवं आय में वृद्धि करते हैं, बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात संवर्धन, आधारभूत संरचना विकास तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज सम्पदा, भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक कॉरिडोर, विकसित सड़क नेटवर्क तथा निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में उभर रहा है। "विकसित राजस्थान @2047" की परिकल्पना में उद्योग क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन माना गया है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का महत्व

❖ **आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार—**

◈ वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र का GSVA (वर्तमान कीमतों पर) में योगदान 26.55% है।

◈ उद्योग क्षेत्र का कुल GVA लगभग ₹4.54 लाख करोड़ अनुमानित है।

◈ स्थिर (2011-12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 7.02% रही।

◈ उद्योग क्षेत्र राज्य की आय, रोजगार, निर्यात तथा पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत है।

राजस्थान में उद्योग की स्थिति – अर्थव्यवस्था में योगदान:

उद्योग क्षेत्र	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर
GDP	2.33 लाख करोड़	4.26 लाख करोड़
GSVA में योगदान	29.84%	27.16%
वृद्धि	5.77%	7.84%

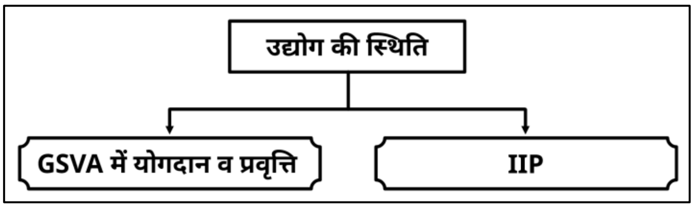

GSVA में योगदान		
उद्योग क्षेत्र	**स्थिर कीमतों पर 2011–12**	**प्रचलित कीमतों पर**
GSVA (₹ में)	2.48 लाख करोड़	4.54 लाख करोड़
GSVA में योगदान (%)	28.21%	26.55%
वृद्धि	7.02%	6.99%
CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर)	4.36%	8.98%

उद्योग के उप-क्षेत्र	प्रचलित कीमतों पर GSVA में योगदान (अनुमानित)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	CAGR (% में)
विनिर्माण	40.52%	7.84	4.75
निर्माण	35.02%	8.27	4.04
खनन एवं उत्खनन	12.42%	-1.41	2.56
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य	12.04%	9.37	6.32

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

◈ यह एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन का मापक है।

◈ इस आधार वर्ष 2011-12 है।

◈ यह NSO द्वारा जारी किया जाता है।

◈ इसका संकलन मासिक आधार पर किया जाता है।

◈ यह सूचकांक तीन वृहद समूह पर आधारित है।

क्षेत्र	भारांश	IIP (2025-26)	प्रवृत्ति
विनिर्माण	77.63%	181.17	पिछले 5 वर्षों से लगातार वृद्धि
खनन	14.37%	87.94	पिछले 5 वर्षों से लगातार कमी
विद्युत	7.99%	161.00	पिछले 4 वर्षों से लगातार वृद्धि परंतु वर्ष 2025-26 में कमी
सामान्य सूचकांक = 153.29	**100%**	**153.29**	पिछले 4 वर्षों से लगातार वृद्धि परंतु वर्ष 2025-26 में कमी

उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योग के प्रकार	
पूँजी के आधार पर	1. लघु 2.वृहत्त 3. कुटीर 4. ग्रामोद्योग
स्वामित्व के आधार पर	1. सार्वजनिक 2. निजी 3. सहकारी
कच्चे माल के आधार पर	1. कृषि → सूती वस्त्र 2. खनिज → सीमेंट 3. वनोत्पाद → कागज 4. पशुपालन → डेयरी

◈ उद्योगों को **आकार, स्वामित्व एवं कच्चे माल** के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

1. पूंजी निवेश एवं टर्नओवर के आधार पर

◈ माइक्रो, स्माल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज डवलपमेंट एक्ट (2006, संशोधित 2020)

◈ **2006 में लागू** हुआ, बाद में **2018 और 2020 में संशोधित** किया गया।

◈ **2020 के संशोधन में** उद्योगों के लिए **संयंत्र, मशीनरी में निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर** को वर्गीकरण का आधार बनाया गया।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का नया वर्गीकरण (1 जून, 2020 से लागू)

उद्योग का प्रकार	निवेश सीमा	वार्षिक टर्नओवर सीमा
सूक्ष्म उद्योग	₹2.5 करोड़	₹10 करोड़
लघु उद्योग	₹25 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम उद्योग	₹125 करोड़	₹500 करोड़

2. स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण

1. निजी क्षेत्र के उद्योग

- स्वामित्व एवं संचालन **व्यक्तिगत या निजी समूहों** द्वारा किया जाता है।
- **उदाहरण-** रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, अडानी ग्रुप आदि।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

- स्वामित्व एवं संचालन **सरकार द्वारा** किया जाता है।
- **उदाहरण-**
- **हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)**
- **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL)**

3. संयुक्त क्षेत्र के उद्योग

- स्वामित्व एवं संचालन **सरकार एवं निजी क्षेत्र** दोनों के सहयोग से होता है।
- **उदाहरण-** मारुति उद्योग लिमिटेड।

4. सहकारी क्षेत्र के उद्योग

- स्वामित्व एवं संचालन **कच्चे माल के उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं कामगारों द्वारा किया जाता है।**
- **उदाहरण-**
- आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL)
- केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल
- सरस डेयरी
- **राज्य के विभिन्न जिलों में कुछ विशिष्ट कृषि उत्पादों से जुड़े उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे-**
- **पाली** – मेहंदी उद्योग
- **बाँसवाड़ा** – आम पापड़ उद्योग
- **बीकानेर** – पापड़-भुजिया उद्योग
- **जोधपुर और नागौर** – मेथी उत्पादन
- **झालावाड़ और श्रीगंगानगर** – रसदार फलों का प्रसंस्करण
- **आबू और सिरोही** – टमाटर आधारित उत्पाद
- **पुष्कर** – गुलाब के फूलों से संबंधित उद्योग
- **जालोर** – ईसबगोल उत्पादन

राजस्थान में उद्योग

परिचय

- उद्योग अर्थव्यवस्था के द्वितीयक (Secondary) क्षेत्र का प्रमुख घटक है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों एवं कच्चे माल का प्रसंस्करण करके उपयोगी एवं मूल्यवर्धित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। औद्योगिकीकरण किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास, निर्यात वृद्धि तथा आधारभूत संरचना के विकास का प्रमुख आधार माना जाता है।
- राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज भंडार, हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र उद्योग तथा विशाल औद्योगिक आधार वाला राज्य है। संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, जस्ता, तांबा, सीसा, लिग्नाइट आदि खनिजों की उपलब्धता ने राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास को गति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, फर्नीचर, सीमेंट, सिरेमिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग राजस्थान की औद्योगिक पहचान बन चुके हैं।
- वर्तमान में राज्य सरकार का लक्ष्य केवल उद्योगों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि सतत (Sustainable), समावेशी (Inclusive) तथा प्रौद्योगिकी आधारित (Technology Driven) औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024, MSME नीति-2024, लॉजिस्टिक्स नीति-2025, डेटा सेंटर नीति-2025, वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 तथा GCC नीति-2025 लागू की गई हैं।

राजस्थान में औद्योगिक विकास के आधार

- राजस्थान में औद्योगिकीकरण निम्नलिखित आधारों पर विकसित हुआ है–

1. समृद्ध खनिज सम्पदा

- राजस्थान को "खनिजों का अजायबघर (Museum of Minerals)" कहा जाता है। राज्य में 80 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिससे सीमेंट, सिरेमिक, पत्थर, धातु एवं रसायन उद्योगों का विकास हुआ है।

2. विशाल भूमि उपलब्धता

- राजस्थान का विशाल भौगोलिक क्षेत्र बड़े औद्योगिक पार्कों एवं निवेश क्षेत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त है।

3. रणनीतिक भौगोलिक स्थिति

- राजस्थान उत्तर एवं पश्चिम भारत को जोड़ने वाला प्रमुख राज्य है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा मध्यप्रदेश से संपर्क होने के कारण उद्योगों को बड़ा बाजार उपलब्ध होता है।

4. उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क

- राष्ट्रीय राजमार्ग
- दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC)
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)
- एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
- ड्राई पोर्ट
- आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क
- इनसे परिवहन लागत कम होती है तथा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

5. निवेश अनुकूल नीतियाँ

- राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक नई नीतियाँ लागू की हैं, जिनसे उद्योगों को कर छूट, पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान तथा अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. MSME आधारित औद्योगिक संरचना

- राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) औद्योगिक विकास का आधार हैं। ये उद्योग रोजगार, निर्यात तथा स्थानीय संसाधनों के उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकसित राजस्थान @2047 : औद्योगिक विजन

- राजस्थान सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य को भारत का अग्रणी औद्योगिक एवं निवेश केन्द्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इस विजन का उद्देश्य ऐसा औद्योगिक वातावरण विकसित करना है जो—
- पर्यावरण के अनुकूल हो,
- तकनीकी रूप से उन्नत हो,
- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो,
- अधिक रोजगार सृजित करे,
- तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करे।

विजन के प्रमुख स्तम्भ

- MSME आधारित औद्योगिकीकरण
- पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण
- सनराइज एवं उभरते उद्योगों का विकास
- खनिजों का मूल्य संवर्धन
- सतत खनन
- वैश्विक निवेश आकर्षित करना
- कौशल विकास एवं रोजगार
- उद्योग–कौशल एकीकरण
- नियामकीय सुधार
- समावेशी औद्योगिक विकास

❖ **राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान**
- राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन है।
- वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत रही।
- स्थिर (2011-12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) वर्ष 2011-12 के ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर ₹2.48 लाख करोड़ हो गया है।
- प्रचलित मूल्यों पर यह बढ़कर ₹4.54 लाख करोड़ हो गया है।
- राज्य के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) में उद्योग क्षेत्र का योगदान 26.55 प्रतिशत है।

❖ **उद्योग क्षेत्र की संरचना (2025-26)**

उप-क्षेत्र	योगदान
विनिर्माण	40.52%
निर्माण	35.02%
खनन एवं उत्खनन	12.42%
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	12.04%

❖ **विशेष तथ्य:**
- उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण (Manufacturing) का है।

❖ **उद्योग क्षेत्र की वृद्धि (2025-26)**

क्षेत्र	वृद्धि दर
विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	9.37%
निर्माण	8.27%
विनिर्माण	7.84%
खनन एवं उत्खनन	–1.41%

❖ **अन्य तथ्य:**
- वर्ष 2025-26 में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई, जबकि विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई।

❖ **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Industrial Production Index - IIP)**
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) किसी निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन में हुए अल्पकालिक परिवर्तनों को मापने वाला प्रमुख संकेतक है।
- राजस्थान में IIP का संकलन मासिक आधार पर किया जाता है।
  आधार वर्ष : 2011-12

❖ **IIP के तीन प्रमुख घटक हैं—**
- विनिर्माण
- खनन
- विद्युत
- IIP का उपयोग राज्य के औद्योगिक प्रदर्शन, उत्पादन प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए किया जाता है।

कृषि आधारित उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

- राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग पारंपरिक और सबसे पुराना उद्योग है, जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कपास (Cotton) है।

❖ **मुख्य घटनाक्रम और विकास-**
- **राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल** – दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसे 17 जून, 1889 को ब्यावर में कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदरदास राठी ने स्थापित किया।
- **दूसरी मिल** – एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, 9 अगस्त, 1906 को ब्यावर में शुरू हुई।
- **अन्य महत्वपूर्ण मिलें** –
  1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड (ब्यावर)
  1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स (भीलवाड़ा)
  1942 में महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड (पाली) स्थापित हुई।

❖ **प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र-**
- राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गईं, जिनमें प्रमुख हैं-
- **भीलवाड़ा** – राजस्थान का "वस्त्र नगरी" या "मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान", जिसे भारत सरकार ने "टेक्सटाइल पार्क" एवं "वस्त्र निर्यातक नगर" का दर्जा दिया।
- **पाली, ब्यावर, गुलाबपुरा, बांसवाड़ा, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर** – सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र।

❖ **प्रमुख सूती वस्त्र मिलें-**
- **पाली** – उम्मेद मिल्स (सबसे बड़ी सूती मिल)
- **भीलवाड़ा** – मॉडर्न ग्रुप, भीलवाड़ा सूटिंग-शर्टिंग
- **ब्यावर** – एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स
- **गुलाबपुरा** – राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्स
- **उदयपुर** – रिलायंस कोमेटैक्स, उदयपुर कॉटन मिल्स
- **बांसवाड़ा** – बांसवाड़ा सिन्टेक्स, मयूर मिल्स लिमिटेड
- **श्रीगंगानगर** – जे.सी.टी. मिल्स
- **कोटा** – श्री गोपाल इंडस्ट्रीज

❖ **सरकारी अधिग्रहण और सहकारी कताई मिलें:**
- 1974 से एडवर्ड मिल्स (ब्यावर), महालक्ष्मी मिल्स (ब्यावर) और श्री विजय कॉटन मिल्स (विजयनगर) को राष्ट्रीय वस्त्र निगम (N.T.C.) द्वारा अधिग्रहित कर सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया।

❖ **सहकारी कताई मिलें** –
- राजस्थान सहकारी कताई मिल (गुलाबपुरा, 1965)
- गंगापुर सहकारी कताई मिल (भीलवाड़ा, 1981)
- श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल (हनुमानगढ़, 1978)

❖ **स्पिनफेड (SPINFED) की स्थापना-**
- 7 मार्च, 1992 को कपास उत्पादक किसानों के हित में राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड (SPINFED), जयपुर की स्थापना की गई।
- 21 नवंबर, 2016 को सरकार ने घाटे में चल रही कताई मिलों को बंद करने और कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (VRS) का विकल्प देने का निर्णय लिया।

❖ **राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (RTMA) की भूमिका-**
- 1954 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (RTMA) की स्थापना हुई, जो राज्य की कपड़ा मिलों का प्रतिनिधित्व करता है।
- 1947 में राजस्थान में केवल **7 कपड़ा मिलें** थीं, जो 1976 तक **17 मिलों** तक बढ़ गईं।
- सरकार की प्रोत्साहन नीति से 1995 तक **16 नई मिलें** शुरू हुईं।
- वर्तमान में राजस्थान में **64 कपड़ा मिलें** कार्यरत हैं।

❖ **राजस्थान की प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियां और उपलब्धियां:**
- **RSWM Ltd., बांसवाड़ा सिन्टेक्स Ltd., सतलुर टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज Ltd. (भवानी मंडी, कोटा)** – इन कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया।

- **SRTEPC अवार्ड** – सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SRTEPC) द्वारा राजस्थान के उद्योगों को उच्चतम निर्यात प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
- **राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड** – SRTEPC सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित।

(ख) रेशम एवं खादी उद्योग

राजस्थान में कुछ जिलों में रेशम उद्योग विकसित किया गया है। यहाँ **टसर कृषि कार्यक्रम** चलाया जाता है, जिसमें **रेशम के कीटों का पालन (सेरीकल्चर)** किया जाता है। राज्य में प्रमुख रूप से **कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूँदी और चित्तौड़गढ़** में रेशम कीट पालन किया जाता है तथा **"मलबरी की खेती"** की जाती है।

- **रेशम की खेती के प्रकार-**

1. **मलबरी खेती** - शहतूत के पौधों पर कीट पालन।
2. **एरी रेशम** - अरंडी के पौधों पर कीट पालन।
3. **टसर रेशम** - साल, अर्जुन वृक्षों पर कीट पालन।
4. **टसर मुंगा रेशम** - सोम व सालू वृक्षों पर कीट पालन।
5. **ओक टसर रेशम** - ओक वृक्षों पर कीट पालन।

- राजस्थान में **टसर कृषि** सर्वाधिक प्रचलित है। कोटा, उदयपुर और बाँसवाड़ा जिलों में **'कृत्रिम रेशम'** का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए **अर्जुन पेड़ों** का उपयोग होता है। यहाँ रासायनिक विधि से भी कृत्रिम रेशम बनाया जाता है।
- **राज्य में कृत्रिम रेशम के प्रमुख कारखाने** -
  1. कोटा 2. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) 3. बांसवाड़ा

खादी उद्योग

- राजस्थान में **खादी उद्योग** एक **परंपरागत उद्योग** है। जयपुर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा आदि जिलों में यह उद्योग सक्रिय रूप से संचालित है। राज्य में **खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'खादी ग्रामोद्योग बोर्ड' कार्यरत** है।
- **राजस्थान में खादी वस्त्रों के प्रकार:**
  1. सूती खादी
  2. ऊनी खादी
  3. रेशमी खादी
  4. पॉलिएस्टर खादी
- **अन्य कृषि आधारित कुटीर उद्योग**
  1. गोटा उद्योग - अजमेर, जयपुर
  2. बेकरी उद्योग - जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर
  3. दाल उद्योग - गंगानगर, हनुमानगढ़
  4. मसाला उद्योग - अलवर
- **राज्य का बंधेज, छपाई और रंगाई उद्योग**
  राजस्थान का **बंधेज, छपाई और रंगाई उद्योग** पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसमें लकड़ी के ठप्पों से **वनस्पति एवं रासायनिक रंगों** का उपयोग किया जाता है।
- **प्रमुख केंद्र-** बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पीपाड़।
- **बाड़मेर** - अजरख प्रिंट
- **चित्तौड़गढ़** - जाजम छपाई
- **उदयपुर** - कच्ची-पक्की रंगाई और छपाई
- **जोधपुर** - बंधेज कार्य
- **जयपुर** - लहंगा-चुन्नी निर्माण
- **राजस्थान में कपड़ा उद्योग से संबंधित प्रमुख योजनाएँ**
- राजस्थान में कपड़ा उद्योग के विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

1. एकीकृत कौशल विकास योजना (Integrated Skill Development Scheme - ISDS)

- इस योजना के तहत **प्रशिक्षित युवाओं में से कम से कम 75% को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य** है।
- यह योजना वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।

2. एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना (Integrated Processing Development Scheme - IPDS)

- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा **टेक्सटाइल उद्योग से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित** करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।
- राजस्थान में इस योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं-
- सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जयपुर
- बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, बालोतरा
- ट्रीटमेंट प्लांट - जसोल
- ट्रीटमेंट प्लांट - पाली
- नेक्सजेन टेक्सटाइल पार्क प्रा. लि.

3. इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना (Scheme of Integrated Textile Park - SITP)

- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा **कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर, CETP (Common Effluent Treatment Plant), कैप्टिव पावर प्लांट आदि की स्थापना** के लिए इस योजना को लागू किया गया।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत का **40% या अधिकतम 40 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता** दी जाती है।
- **राजस्थान में वर्तमान में 4 टेक्सटाइल पार्क स्थापित हैं:**

1. जयपुर टेक्स विविंग पार्क, किशनगढ़, अजमेर (2005)
2. किशनगढ़ हाईटेक टेक्स पार्क, किशनगढ़, अजमेर (2006)
3. नेक्सजेन टेक्सटाइल पार्क, पाली (2007)
4. जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, जयपुर (2008)

4. मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना (MITRA Scheme)

- केंद्र सरकार की **मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना (MITRA)** के तहत जोधपुर के कांकाणी में **'मेगा टेक्सटाइल पार्क'** स्थापित किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य **वस्त्र उद्योग में बड़े निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना** है।
- **देश का पहला एकीकृत टेक्सटाइल पार्क - शाहगढ़ (जैसलमेर) में स्थापित किया जा रहा है।**
- **बगरू में 'टेक्सटाइल पार्क'** - वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कार्यरत है।
- **जोधपुर को 'Town of Export Excellence' का दर्जा** - हैंडीक्राफ्ट उद्योग के लिए दिया गया है।
- **बालोतरा, पाली और जसोल में - Common Effluent Treatment Plant (CETP) के अपग्रेडेशन** के लिए **राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपये का अंशदान** दिया जाएगा।
- **डिजाइन इनोवेशन हब** - जयपुर के पास **National Institute of Design (NID)** की स्थापना के लिए **50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।**

चीनी उद्योग

- **चीनी उद्योग** देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, और राजस्थान में भी यह एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग के रूप में स्थापित है।
- चीनी उत्पादन में **गन्ना प्रमुख कच्चा माल** होता है और इससे निकलने वाले **गन्ने के छिलकों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए** किया जाता है।

- **राजस्थान में प्रमुख चीनी मिलें-**
  राजस्थान में चीनी उत्पादन सीमित है और केवल **तीन प्रमुख चीनी मिलें** कार्यरत हैं-

1. **दी मेवाड़ शुगर मिल लि., भोपालसागर (चित्तौड़गढ़)**
   - राजस्थान की **पहली चीनी मिल**, जो **1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित** की गई।
   - गन्ना **भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद जिलों** से आता है।
2. **उदयपुर शुगर मिल (1976)**
   - भोपालसागर चीनी मिल की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई।
3. **राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. (RSGSM), श्रीगंगानगर**
4. **केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स, केशोरायपाटन (बूँदी)**
   - यह सहकारी मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के हितार्थ सहकारी क्षेत्र में 1965 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में बंद है।
   - **1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लि.** के नाम से स्थापित।
   - **1956 में राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित** कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया।
   - **1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित** किया गया।
   - इसके अधीन **शराब एवं स्प्रिट उत्पादन के कई कारखाने** भी कार्यरत हैं।
   - 19 जनवरी, 2016 से एक नई समन्वित (Integrated) चीनी मिल स्थापित की गई, जिसमें चीनी उत्पादन, डिस्टलरी, पशु आहार और 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन शामिल है।

चीनी उत्पादन और संबंधित उद्योग

- **गन्ने और चुकंदर से चीनी उत्पादन-**
- श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) में एक शुगर फैक्ट्री स्थापित है, जहां गन्ने एवं चुकंदर से चीनी का उत्पादन किया जाता है।
- **मोलेसिस (शीरा) उत्पादन**:
- RSGSM में मोलेसिस से शोधित आसव (डिस्टिलेशन) किया जाता है।
- श्रीगंगानगर में 30 KLPD (Kilo Litre Per Day) की नई डिस्टलरी स्थापित की गई और 24 नवंबर, 2016 से इसका संचालन प्रारंभ हुआ।
- **राजस्थान में शराब उत्पादन-**
- **राज्य में 19 मदिरा निर्माण केंद्र (Reduction Centers) कार्यरत हैं**, जिनमें **देशी शराब का उत्पादन** किया जाता है।
- **अलवर को 'राजस्थान का स्कॉटलैंड' कहा जाता है**, क्योंकि यहाँ राज्य के सर्वाधिक शराब कारखाने कार्यरत हैं।
- **"रॉयल हैरिटेज लिकर" योजना (2005-06)** के तहत **राजा-महाराजाओं द्वारा तैयार की जाने वाली पारंपरिक शराब का उत्पादन** जयपुर झोटवाड़ा डिस्टलरी में किया जाता है।
- **महुआ से बनने वाली मदिरा-**
- विश्व की एकमात्र फूलों से बनने वाली मदिरा महुआ से तैयार की जाती है।
- राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र (डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, देवगढ़, बारां) में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं।
- महुआ मदिरा की **उच्च गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए RSGSM द्वारा पहल की गई है**, जिससे **हथकढ़ शराब पर रोक** लगेगी।

वनस्पति तेल और घी उद्योग

- राजस्थान की पहली वनस्पति घी मिल 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित की गई।
- वर्तमान में **चार कारखाने जयपुर में और एक भीलवाड़ा में स्थापित** किए गए हैं।
- **वनस्पति घी के प्रमुख ब्रांड-**
- **चित्तौड़गढ़**: अशोका, केसरी, विनायक, सुदामा, सम्राट, पारस आदि।
- **जयपुर**: विश्वकर्मा क्षेत्र – महाराजा वनस्पति
- झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र - आमेर वनस्पति
- निवाई - केशर वनस्पति
- दुर्गापुरा – रोहिताश्व

तेल उद्योग

- **सरसों तेल उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है।**
- **प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र:**
- **जयपुर**: वीर बालक, इंजिन मार्का, टैगोर मार्का, चंबल, नेताजी, टैंक आदि।
- **भरतपुर**: इंजिन मार्का।
- **अन्य केंद्र** : अलवर, धौलपुर, कोटा, हिण्डौन, निवाई, मालपुरा।
- **राज्य में कुल तेल मिलें**:
- 200 बड़ी तेल मिलें।
- करीब 7,000 छोटी तेल मिलें।
- सरकार को प्रति वर्ष ₹450 करोड़ टैक्स आय होती है।
- **बायोडीजल उत्पादन**:
- रतनजोत और जेट्रोफा से बायोडीजल के कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं।
- बायोडीजल उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य पेट्रोलियम ईंधनों पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना तथा पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना है।

वन-आधारित उद्योग

- राजस्थान में कई वन-आधारित उद्योग भी विकसित हुए हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं:
- **बीड़ी उद्योग**- टोंक (मयूर बीड़ी), भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर।
- **माचिस उद्योग**- अजमेर, जोधपुर, अलवर।
- **बाँस उद्योग**- जयपुर, अजमेर।
- **कत्था, गोंद, लाख उद्योग**: कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़।

कागज उद्योग

- **राजस्थान का पहला कागज कारखाना** सांगानेर (जयपुर) में राजा **मानसिंह प्रथम** द्वारा स्थापित किया गया था।
- **हाथ से बना कागज** – प्रमुख केंद्र **घोसुण्डा (चित्तौड़गढ़)**।
- **प्रमुख पेपर मिल्स-**
- **कुमारप्पा कागज निर्माण संस्थान** – सांगानेर (जयपुर)।
- **कृष्णा पेपर मिल्स** – कोटपूतली-बहरोड़।
- **जामोटिया पेपर मिल्स** – भीलवाड़ा।
- **अनीरा पेपर मिल्स लिमिटेड** – भीलवाड़ा।
- **बांस की प्रचुरता** के कारण **उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कागज उद्योग की अच्छी संभावना** है।
- **पारले बिस्किट फैक्ट्री- नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)** में स्थित है।

राजस्थान में पशुपालन आधारित उद्योग

- राजस्थान में चमड़ा, ऊनी वस्त्र, दुग्ध एवं हड्डी पाउडर जैसे विभिन्न पशु उत्पाद आधारित उद्योग संचालित हैं। इनमें ऊनी वस्त्र उद्योग का विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान देश में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है।

ऊनी वस्त्र उद्योग

- राजस्थान में भारत की कुल भेड़ों का 10.64% (90.80 लाख) पाया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1.45 करोड़ किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है।
- यह देश के कुल ऊन उत्पादन का 34.46% है। उत्पादित ऊन का 85% गलीचा निर्माण में एवं 15% वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होता है।
- **प्रमुख ऊनी उद्योग केंद्र**
- **बीकानेर-** भारत का सबसे बड़ा ऊन बाजार।
- **जोधपुर एवं ब्यावर-** ऊनी वस्त्र उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र।
- **जयपुर, अलवर, टोंक, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर-** कनी गलीचा उद्योग का विस्तार।
- **प्रमुख ऊन उद्योग इकाइयाँ:**
- **बीकानेर-** स्टेट वूलन मिल्स (सरकारी), राजस्थान ऊन मिल।
- **चूरू-** वेर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स।
- **लाडनूँ-** वेर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स।
- **जोधपुर-** जोधपुर ऊन फैक्ट्री।
- **कोटा-** विदेशी आयात-निर्यात संस्थान।
- **विशेष उत्पाद और प्रसंस्करण इकाइयाँ:**
- **भीलवाड़ा-** ऊनी कंबल, शाल, टूविडस निर्माण, 'सिंथेटिक वूल' का कारखाना।
- **मालपुरा एवं टोंक-** नमदे, आसन, घूघियाँ, चकमे निर्माण (नमदे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध)।
- **ऊनी खादी-** जैसलमेर की 'बरड़ी', बीकानेर के ऊनी कंबल, चौमूं के 'खेस'।
- **ऊनी उद्योग के संवर्धन हेतु संस्थान-**
- ऊन प्रोसेसिंग हाउस, भीलवाड़ा
- ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, बीकानेर
- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर
- भेड़-ऊन शिक्षण संस्थान, जयपुर
- केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, मालपुरा (टोंक) (एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र)
- मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेन्द्र, बीछवाल (बीकानेर)
- **अन्य प्रमुख ऊन एवं टेक्सटाइल संस्थान-**
- कम्प्यूटर चालित गलीचा डिज़ाइन केंद्र, जयपुर
- एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, शाहगढ़ (जैसलमेर) (देश का पहला)
- टेक्सटाइल पार्क एवं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, भीलवाड़ा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (NID), जयपुर

राजस्थान में चर्म उद्योग

- राजस्थान भारत में **कुल कच्चे चमड़े का 13%** उत्पादन करता है।
- राज्य में **567.76 लाख पशुधन** उपलब्ध है, जो इसे चमड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश** में पशुधन की संख्या राजस्थान से कम होने के बावजूद, अधिकतर लेदर उत्पाद इकाइयाँ वहीं स्थित हैं।
- राज्य में **20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार** कार्यरत हैं, जो पारंपरिक रूप से **मोजरी/जूती, बेल्ट, पर्स आदि** का निर्माण करते हैं।
- आधुनिक तकनीक व मशीनों की जानकारी के अभाव में दस्तकारों को **अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।**
- **प्रमुख चर्म उद्योग केंद्र-**
- **भीनमाल (जालौर), बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़** आदि जिलों में चर्म हस्तशिल्प का विस्तार।
- **मानपुरा माचेडी (जयपुर)** में **चर्म औद्योगिक क्षेत्र** विकसित किया गया, जिसमें **8 लेदर इकाइयाँ** स्थापित हो चुकी हैं।

चर्म उद्योग से संबंधित योजनाएँ:

- **चर्म प्रशिक्षण योजना:**
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के **चर्म कर्मियों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण** दिया जाता है।
- **उद्देश्य-** कौशल विकास, कार्य सुधार एवं आय वृद्धि।
- **राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना (2012)-**
- **बैंक से ऋण** लेकर **शू-लास्ट, चर्म सिलाई मशीन** आदि आधुनिक उपकरण खरीदने की सुविधा।
- दस्तकारों को **50% अनुदान (अधिकतम ₹15,000)**, जो सीधे उनके बैंक ऋण खाते में जमा किया जाता है।
- **राजस्थान में मिल्क पाउडर उद्योग**

1. **राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना:**
   - **स्थान-** कोटा, एग्रो फूड पार्क (सैकंड फेज)।
   - **शुरुआत-** 15 जुलाई, 2011
   - **रोजगार-** लगभग **10,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार**।
2. **अन्य मिल्क पाउडर कारखाने-**
   - **स्थापनाएँ-** रानीवाड़ा, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर।

खनिज आधारित उद्योग

- राजस्थान में **खनिज आधारित उद्योगों** की अपार संभावनाएँ हैं। राज्य में **9000+ रजिस्टर्ड लघु औद्योगिक इकाइयाँ** कार्यरत हैं। प्रमुख उद्योगों में **सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, लिग्नाइट आधारित परियोजनाएँ, ग्रेनाइट, उर्वरक, सिरेमिक एवं कांच उद्योग** शामिल हैं।

सीमेंट उद्योग

- **भारत और राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थान:**
- **भारत** सीमेंट उत्पादन में **दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक** (अमेरिका, चीन, जापान के बाद)।
- **राजस्थान** भारत में सीमेंट उत्पादन में **अग्रणी राज्य**।
- राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना **1915 में लाखेरी (बूँदी)** में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित।
- एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना **1953 में सवाई माधोपुर** में स्थापित (वर्तमान में बंद)।
- भारत में **व्हाइट सीमेंट** का सबसे बड़ा उत्पादक **अल्ट्राटेक (बिरला व्हाइट)** और दूसरा स्थान **जे.के. सीमेंट** को।
- **प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र-**
- **चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, कोटा, लाखेरी, ब्यावर, सेवारास (पाली), पिंडवाड़ा (सिरोही), गोटन (नागौर), खारिया खंगार (जोधपुर)।**
- मिनी सीमेंट प्लांट- **आबूरोड, नीमकाथाना, बाँसवाड़ा, हिण्डौन सिटी, कोटपूतली।**
- राजस्थान में कुल **24 वृहद सीमेंट प्लांट** कार्यरत, जिनसे **56 मिलियन टन+ वार्षिक उत्पादन।**
- चित्तौड़गढ़ राज्य का **सबसे बड़ा सीमेंट हब**।
- **राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने-**

1. जे. के. व्हाइट सीमेंट, गोटन (नागौर) – 1984 में स्थापित (भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र)।
2. बिरला व्हाइट सीमेंट, भोपालगढ़ (जोधपुर)।
3. बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट, खारिया खंगार (जोधपुर) ।

राजस्थान में सीमेंट उत्पादन(लाख टन)	
वर्ष	उत्पादन (लाख टन)
2010	99.78
2015	295.02
2019-20	267.94

❖ **राजस्थान में सीमेंट निर्माण के प्रमुख संयंत्र:**

1. **ए.सी.सी. लि.** - लाखेरी (बूंदी)
2. **जयपुर उद्योग लि.** - सवाई माधोपुर (बंद पड़ा है)
3. **बिड़ला सीमेंट वर्क्स लि.** - चित्तौड़गढ़
4. **चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लि. (चेतक छाप)** - चंदेरिया, चित्तौड़गढ़
5. **बिरला मंगलम सीमेंट** - मोडक (कोटा)
6. **श्री सीमेंट लि. (श्रीछाप)** - ब्यावर
7. **जे.के. सीमेंट लि. (जे.के. छाप)** - निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़
8. **जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लि.** - जयकयपुरम, सिरोही
9. **स्ट्रा प्रोडक्टस** - बनास, सिरोही
10. **श्रीराम सीमेंट** - श्री रामनगर, (कोटा)
11. **बिड़ला व्हाइट सीमेंट** - गोटन (नागौर)
12. **हिन्दुस्तान सीमेंट** - उदयपुर
13. **राज श्री सीमेंट** - खारिया, मीरापुर (नागौर)
14. **अंबुजा सीमेंट** - राबरियावास (पाली)
15. **वंडर सीमेंट** - निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
16. **जे.के. लक्ष्मी सीमेंट II** - सिरोही
17. **इंडिया सीमेंट लि.** - नौखिया (बांसवाड़ा)
18. **अल्ट्राटेक सीमेंट** - सावा शंभुपुरा रोड (चित्तौड़गढ़)
19. **बिनानी सीमेंट** - सिरोही
20. **लाफार्ज सीमेंट** - भावलिया, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
21. **मारवाड़ सीमेंट वर्क्स (अंबुजा सीमेंट)** - मूंडवा (नागौर)
22. **अल्ट्रा सीमेंट** - पिण्डवाड़ा, सिरोही

❖ **उच्चतम और न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र-**

◈ **सर्वाधिक उत्पादन क्षमता**- जे.के. सीमेंट लि., निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

◈ **न्यूनतम उत्पादन क्षमता**- श्री राम सीमेंट, कोटा (2 लाख टन)

❖ **राजस्थान के प्रमुख अन्य सीमेंट संयंत्र-**

1. **जे.के. सीमेंट लि.**, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
2. **अल्ट्राटेक अदित्य सीमेंट वर्क्स**
3. **जे.के. सीमेंट लि.**, मांगरोल (चित्तौड़गढ़)
4. **जे.के. सीमेंट लि.**, गोटन (नागौर)
5. **बिड़ला कॉर्पोरेशन लि.**, चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) – 5 संयंत्र इकाइयाँ
6. **श्री सीमेंट लि.**, रास I & II (ब्यावर)
7. **श्री सीमेंट लि.**, खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा)
8. **श्री सीमेंट लि.**, सूरतगढ़ (गंगानगर)
9. **श्री सीमेंट लि.**, जोबनेर (जयपुर)
10. **वंडर सीमेंट संयंत्र II**, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
11. **इंडिया सीमेंट लि.**, नौलखा (बांसवाड़ा)
12. **मंगलम सीमेंट लि.**, मोडक (कोटा)
13. **डी.एल.एफ. बिनानी सीमेंट**, दयालपुरा (पाली)
14. **इंडिया सीमेंट लि.**, नोखला वजवाना (बांसवाड़ा)
15. **अल्ट्राटेक सीमेंट लि.**, आदित्यपुरम (चित्तौड़गढ़)
16. **अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लि.**, सीमर (सिरोही)
17. **आदित्य सीमेंट लि.**, चित्तौड़गढ़
18. **ग्रासिम सीमेंट लि.**, कोटपूतली (राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कारखाना)
19. **NUVOCO VISTA CORP LTD**, (चित्तौड़गढ़)

❖ **चित्तौड़गढ़- "राज्य की सीमेंट नगरी"**

◈ **चित्तौड़गढ़ में प्रमुख सीमेंट इकाइयाँ-**

1. **बिड़ला सीमेंट वर्क्स** (बिरला कॉर्पोरेशन लि.)
2. **चित्तौड़ सीमेंट वर्क्स**, चंदेरिया
3. **आदित्य सीमेंट वर्क्स लि.**, शंभुपुरा (1.50 मिलियन TPA, 1995)
4. **वंडर सीमेंट लि.**, निम्बाहेड़ा (6.75 मिलियन टन)
5. **जे.के. सीमेंट लि.**, निम्बाहेड़ा (4.5 मिलियन टन): **इकाइयाँ-** निम्बाहेड़ा, मांगरोल, गोटन
6. **जे.के. व्हाइट सीमेंट** – देश में सफेद सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक

❖ **भविष्य में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र-**

◈ **जैसलमेर और बाड़मेर** में लाइम स्टोन भंडारों के कारण **6 बड़े सीमेंट संयंत्र** प्रस्तावित।

◈ **खींवसर, तुलसीराम और परमार की ढाणी** में **90 लाख टन वार्षिक क्षमता** वाले वृहद सीमेंट कारखानों की योजना।

◈ **नागौर, बीकानेर, झुंझुनूं** में जिप्सम, लाइम स्टोन और लिग्नाइट भंडारों की उपलब्धता के कारण बड़े सीमेंट संयंत्रों की संभावनाएँ।

❖ **सीमेंट उद्योग का भौगोलिक वितरण-**

◈ **राजस्थान में शुरुआत**- 1916 में **लाखेरी (बूंदी)** से।

◈ **सीमेंट पट्टी**- निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक विस्तारित।

◈ **अन्य प्रमुख क्षेत्र**- उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही।

❖ **राज्य में कुल इकाइयाँ-**

◈ 24 बड़ी इकाइयाँ

◈ 5 मध्यम इकाइयाँ

◈ 130 छोटी इकाइयाँ

❖ **राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति-**

◈ **राजस्थान- "सीमेंट हब"**

◈ **देश के कुल उत्पादन का 16% राजस्थान में।**

◈ **राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफेद सीमेंट का निर्माण।**

◈ **राजस्थान का स्थान**- भारत में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य।

कांच उद्योग

◈ राजस्थान में कांच उद्योग के विकास की अत्यधिक संभावनाएँ हैं क्योंकि यहाँ कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

❖ **कांच निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल**

◈ **सिलिका सैंड** – जयपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर

◈ **सोडियम सल्फेट, सोडा मिट्टी, चूना पत्थर, शोरा, कोयला** – राज्य में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध

❖ **राजस्थान में प्रमुख कांच उद्योग**

1. **धौलपुर – कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र**

◈ धौलपुर में कांच निर्माण के लिए श्रेष्ठ किस्म की बालू उपलब्ध है और यह परिवहन की दृष्टि से भी अनुकूल है। यहाँ प्रमुख कांच उद्योग हैं:
1. धौलपुर ग्लास वर्क्स (निजी क्षेत्र) – उत्पादन क्षमता **1000 टन/वर्ष**
2. दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास वर्क्स (सार्वजनिक क्षेत्र, 1964)
यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है।

◈ यहाँ पर बोतलें, बीकर्स, बॉयलर्स, कवर ग्लास, फ्लास्क आदि का निर्माण होता है।

2. **कोटा – सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज**

◈ टी.वी. पिक्चर ट्यूब निर्माण

3. भिवाड़ी – सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री

- फ्रांस की सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित
- 19 अगस्त, 2008 को करार, 25 अगस्त, 2010 को शिलान्यास

❖ राजस्थान में कांच और सिरेमिक उद्योग का विस्तार

- **सीआईआई और भारतीय सिरेमिक संस्था (ICS) के सहयोग से** 'सेरा ग्लास इंडिया-2010'11-14 नवंबर, 2010, सीतापुरा, जयपुर
- 180 उत्पादकों/संस्थानों ने भाग लिया, 16 विदेशी कंपनियाँ शामिल
- राजस्थान में उत्पादित कांच और सिरेमिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली
- 2014 में 'रिवाइज्ड सिरेमिक प्रमोशन पॉलिसी' जारी
- बीकानेर और अजमेर को सिरेमिक हब के रूप में विकसित करने की योजना
- बीकानेर में सिरेमिक पार्क की स्थापना

नमक उद्योग

- राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, जो **भारत के कुल नमक उत्पादन का 9-12%** योगदान देता है। यह **खारी झीलों से नमक उत्पादन में देश में प्रथम स्थान** पर है और **भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान** रखता है।

राजस्थान में नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र

1. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र

❖ सांभर (जयपुर, नागौर, अजमेर जिले में फैली झील)

- देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन केंद्र।
- देश का 8.7% और राजस्थान का 80% नमक उत्पादन।
- हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी 'सांभर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर' द्वारा प्रबंधन।

❖ डीडवाना

- 'राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना' द्वारा संचालित
- इस नमक में सोडियम सल्फेट अधिक, इसलिए खाने योग्य नहीं

❖ पचपदरा (बालोतरा)

- **राजकीय लवण स्रोत, 1964 से राज्य सरकार द्वारा संचालित**
- **'खरवाल जाति' के लोग इस व्यवसाय में संलग्न**

2. निजी क्षेत्र के प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र

- फलौदी
- पोकरण (जैसलमेर)
- सुजानगढ़ (चूरू)
- लूणकरनसर (बीकानेर)
- रेवासा (सीकर)
- जाब्दीनगर, नावां (डीडवाना-कुचामन)

❖ नमक उत्पादन की प्रक्रिया और प्रकार-

1. पान नमक-

- झीलों के भूमिगत जल (ब्राइन) से निर्मित।
- 15°-16° बी (Be) घनत्व तक पहुंचते ही क्रिस्टल के रूप में जमा होता है।
- सांभर, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, मिठड़ी, बोरावड़, नावां, गुढ़ा, झपोग आदि क्षेत्रों में उत्पादित।
- औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त।

2. रेस्टा नमक-

- हवा के प्रवाह से निर्मित बारीक कणयुक्त नमक।
- कागज, लुग्दी, रंगाई-छपाई, चमड़ा, वस्त्र, डेयरी उद्योग में प्रयोग।
- पश्चिमी हवा द्वारा पूर्वी किनारे पर एकत्र होता है ।
- बड़ी नमक क्यारियों में ही अधिक मात्रा में मिलता है।

3. क्यार नमक-

- ब्राइन के प्राकृतिक वाष्पीकरण से झीलों के तल पर क्रिस्टल के रूप में जमा होता है।
- सांभर न्यू क्यार, गुढ़ा साल्ट, झपोग क्यार, देवयानी क्यार, नावां क्यार में उत्पादित।
- ब्राइन में अधिक सोडियम सल्फेट होने के कारण 80-85% नमक अखाद्य (non-edible) होता है।

❖ राजस्थान में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास-

- नावां (डीडवाना-कुचामन) में 'मॉडल साल्ट फार्म' (2002) की स्थापना।
- फलोदी और नावां में 'नमक परीक्षण प्रयोगशाला'
- नावां नमक परिष्करण शाला (Nawa Salt Refinery) की स्थापना
- वार्षिक उत्पादन क्षमता – 1 लाख मैट्रिक टन
- 'SS Salt' ब्रांड नाम से खाद्य नमक का उत्पादन
- गुढ़ा और मैगल में नमक रिफाइनरी स्थापित
- पचपदरा और डीडवाना में नमक आयोडीनीकरण संयंत्र स्थापित

❖ राजस्थान में नमक आधारित राजकीय उपक्रम-

1. राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, डीडवाना (1960 में स्थापित)-

- राजस्थान का प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र।
- यहां उत्पादित नमक में सोडियम सल्फेट की अधिक मात्रा होने के कारण यह खाने योग्य नहीं।
- औद्योगिक कार्यों में उपयोग किया जाता है।

2. राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, पचपदरा, बालोतरा (1960 में स्थापित):

- पचपदरा झील में नमक उत्पादन का कार्य करता है।
- यहां 'खरवाल जाति' के लोग पारंपरिक रूप से नमक उत्पादन से जुड़े हैं।
- डीडवाना और पचपदरा में आयोडीनीकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

3. राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (1964 में स्थापित)-

- क्रूड सोडियम सल्फेट (अशुद्ध सोडियम सल्फेट) के उत्पादन हेतु स्थापित।
- नमक से जुड़े विभिन्न औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करता है।

पत्थर उद्योग

- राजस्थान खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है और विभिन्न प्रकार के पत्थरों के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान रखता है। यहां संगमरमर, ग्रेनाइट, घीया पत्थर, स्लेट पत्थर, बलुआ पत्थर आदि का प्रचुर भंडार है, जिससे राज्य में पत्थर उद्योग का व्यापक विकास हुआ है।

1. संगमरमर उद्योग

- राजस्थान देश का 95% संगमरमर उत्पादन करता है।

❖ मुख्य उत्पादन क्षेत्र-

- **मकराना (नागौर)-** भारत में संगमरमर का सबसे प्रमुख स्रोत, यहीं से ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर लिया गया था।
- **राजसमंद-** संगमरमर की सबसे अधिक प्रोसेसिंग इकाइयां यहां स्थित हैं।
- **किशनगढ़ (अजमेर)-** इसे **'राजस्थान की संगमरमर मंडी'** कहा जाता है।

2. ग्रेनाइट उद्योग

- राजस्थान में ग्रेनाइट उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान है।

❖ **प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिले:**
◈ **जालौर-** इसे **'ग्रेनाइट शहर'** कहा जाता है। यहां पहली ग्रेनाइट इकाई 1965 में स्थापित हुई थी।
◈ **अजमेर-** रॉयल ग्रे ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध।
◈ **अलवर-** पैंथर पिंक ग्रेनाइट यहां मिलता है।
◈ **पाली-** गोल्डन येलों और सनफ्लॉवर ग्रेनाइट प्रसिद्ध हैं।
◈ **सिरोही-** सिल्वर और प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट यहां मिलता है।
◈ **टोंक-** देवी मल्टी रेड और मालपुरा ग्रे ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है।
◈ उद्योग को 1991 की ग्रेनाइट नीति से बढ़ावा मिला।
◈ धौलपुर में 'स्टोन पार्क' विकसित किया गया है।

3. घीया पत्थर उद्योग
◈ **प्रमुख उत्पादन क्षेत्र-** दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, उदयपुर, राजसमंद।
◈ इससे टेल्कम पाउडर, कॉस्मेटिक्स उत्पाद, पेंट आदि बनाए जाते हैं।
◈ घीया पत्थर का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है।

राजस्थान में धातु उद्योग

◈ राजस्थान धात्विक खनिजों की प्रचुरता के कारण देश के धातु उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ताँबा, जस्ता, सीसा, चाँदी, लोहा, मैंगनीज और टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से **ताँबा और जस्ता उद्योग सबसे महत्वपूर्ण हैं।**

ताँबा उद्योग (Copper Industry)

◈ राजस्थान में ताँबा उद्योग का विशेष महत्व है और इसकी प्रमुख इकाइयाँ निम्नलिखित हैं-
❖ **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (Hindustan Copper Limited - HCL)**
◈ यह भारत सरकार का एक उपक्रम है।
◈ इसका **मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित** है।
◈ इसकी **स्थापना 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी।**
◈ यह **देश की सबसे बड़ी ताँबा खनन एवं शोधक इकाई** संचालित करता है।

राज्य में प्रमुख ताँबा परियोजनाएँ

1. खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, झुंझुनूं
◈ देश की सबसे बड़ी ताँबा खनन एवं शोधक इकाई।
◈ 1992-93 में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 45,000 टन प्रतिवर्ष कर दी गई।
❖ **सह इकाइयाँ-**
◈ **सुपर फास्फेट कारखाना**
◈ **600 टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट**

2. दरीबा ताम्र परियोजना, अलवर
◈ यहाँ की खान से ताँबा अयस्क निकाला जाता है।

3. चाँदमारी ताम्र परियोजना, झुंझुनूं
◈ खेतड़ी नगर क्षेत्र में स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण ताँबा खनन परियोजना।
❖ **उत्पादन और विकास**
◈ वर्ष 2002- 629 टन ताँबा ट्यूब का उत्पादन।
◈ वर्ष 2011- 1,654 टन ताँबा ट्यूब का उत्पादन।
◈ खेतड़ी की ताँबा खदानों से अयस्क को रज्जू मार्ग (रोपवे) द्वारा शोधक संयंत्र तक पहुँचाया जाता है।

राजस्थान में ताँबा खदानें

❖ ताँबा अयस्क मुख्यतः निम्नलिखित स्थानों पर पाया जाता है:
◈ माधव कुधन, खेतड़ी (झुंझुनूं)
◈ कोलिहान, खेतड़ी
◈ चाँदमारी, झुंझुनूं
◈ दरीबा, अलवर

राजस्थान में जस्ता उद्योग (Zinc Industry)

◈ राजस्थान में जस्ता (Zinc) उद्योग का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। आधुनिक जस्ता उद्योग की नींव स्वतंत्रता के बाद **1965 में "जिंक स्मेल्टर" की स्थापना** के साथ पड़ी।
❖ **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Limited - HZL)-**
◈ 1966 में भारत सरकार ने "मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया" का अधिग्रहण कर "हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड" की स्थापना की।
◈ 2005 में इस उद्योग का निजीकरण कर वेदांता ग्रुप को सौंप दिया गया।
◈ इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित है।
◈ जस्ता गलाने के संयंत्र देबारी (उदयपुर) और चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) में स्थित हैं।
❖ **प्रमुख जस्ता खदानें एवं उत्पादन संयंत्र-**

(i) जावर माइंस (उदयपुर)
◈ जावर माइंस से निकाले गए अयस्क को **देबारी स्थित संयंत्र में शुद्ध किया जाता है।**
◈ **यहाँ जस्ता, कैडमियम, चाँदी और गंधक का तेजाब भी तैयार किया जाता है।**

(ii) रामपुरा-आगूचा परियोजना (भीलवाड़ा)
◈ **तीन हजार टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता** वाला यह संयंत्र राजस्थान में जस्ता उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है।

(iii) चन्देरिया जस्ता-सीसा प्रद्रावक संयंत्र (चित्तौड़गढ़)
◈ **70 हजार टन जस्ता और 35 हजार टन सीसा** प्रतिवर्ष उत्पादित करने की क्षमता।
❖ **जस्ता उद्योग के प्रमुख घटक-**
1. **खान क्षेत्र पर स्थापित बेनीफिसियेशन संयंत्र** – यहाँ से सीसा और जस्ता का सांद्रण प्राप्त किया जाता है।
2. **जस्ता प्रद्रावण कारखाने** – यहाँ जस्ता पिंड (Zinc Ingots), कैडमियम धातु, चाँदी, और गंधक का तेजाब तैयार किया जाता है।

❖ **प्रमुख जिंक स्मेल्टर संयंत्र-**
1. देबारी (उदयपुर)
2. चन्देरिया (चित्तौड़गढ़)

औद्योगिक आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास

औद्योगिक आधारभूत संरचना

◈ किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास की सफलता उसकी आधारभूत संरचना (Infrastructure) पर निर्भर करती है। सड़क, रेल, विद्युत, जल, संचार, औद्योगिक भूमि, लॉजिस्टिक्स तथा निवेश-अनुकूल वातावरण उद्योगों के विकास के प्रमुख आधार हैं। राजस्थान सरकार ने उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाओं का विकास कर राज्य को राष्ट्रीय निवेश केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- राज्य में वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र (DIC) तथा 6 उप-जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों को मार्गदर्शन, पंजीकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। ये केन्द्र उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं तथा नए उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं।

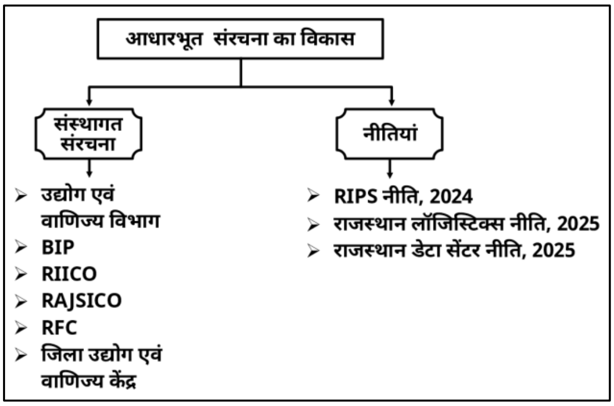

1. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग :

- स्थापना – 1949
- नाम परिवर्तन – 19 अगस्त 2021
- इस विभाग में कई संस्थाएँ राज्य में उद्योग हस्तिशिल्प के मार्गदर्शन, सहायता और सुविधाएँ प्रदान करती है।

2. BIP (निवेश संवर्धन ब्यूरो) :

- स्थापना – 1991
- कार्य – बडे निवेश प्रस्तावों को सुविधा प्रदान करना।
- यह निम्न के सचिवालय के रूप में कार्य करता है–
  बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (अध्यक्ष – मुख्यमंत्री)
  स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (अध्यक्ष – मुख्य सचिव)

3. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO)

- स्थापना - 1980
- राजस्थान में औद्योगिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (RIICO) है। इसकी स्थापना राज्य में योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश आकर्षित करने तथा औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
- RIICO राज्य सरकार की प्रमुख नोडल एजेंसी है, जो बड़े उद्योगों से लेकर MSME तक सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

RIICO के प्रमुख कार्य

- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
- उद्योगों के लिए भूमि आवंटन
- औद्योगिक पार्कों की स्थापना
- सड़क, जल, विद्युत एवं सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास
- निवेशकों को औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना
- विशेष निवेश क्षेत्रों (Special Investment Region) का विकास
- औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का संचालन
- उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं निवेश प्रोत्साहन

RIICO की प्रमुख उपलब्धियाँ (2025-26)

- राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार—
- राज्य में 445 विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) 7,654.63 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- 19 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया।
- 1,499 औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भूखण्ड आवंटित किए गए।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर ₹1220.99 करोड़ व्यय किए गए।
- RIICO द्वारा ₹2050.73 करोड़ की वसूली की गई।
- ये आँकड़े राज्य में औद्योगिकीकरण की तीव्र गति को प्रदर्शित करते हैं।

वर्ष 2025-26 में विकसित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

- RIICO द्वारा विभिन्न जिलों में अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों एवं विशेष पार्कों का विकास किया गया है।

इनमें प्रमुख हैं—

- आईटी पार्क – अजमेर
- टेक्सटाइल पार्क – रूपाहेली (भीलवाड़ा)
- स्टोन पार्क – गुण्डी फतेहपुर (कोटा)
- वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क – गुण्डी फतेहपुर (कोटा)
- सिरेमिक पार्क – गजनेर (बीकानेर)
- महुवा कलां – भीलवाड़ा
- पण्डेर – भीलवाड़ा
- बरौली – धौलपुर
- बंजारी सुहागपुरा – बाँसवाड़ा
- भिण्डर (सगतपुरा) – उदयपुर
- केकड़ी विस्तार – अजमेर
- इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश एवं क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण को गति मिली है।

रीको द्वारा स्थापित अग्निशमन केन्द्र - 09

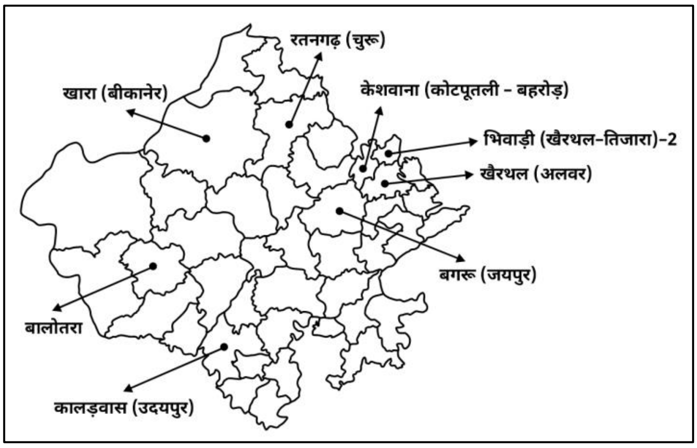

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2024

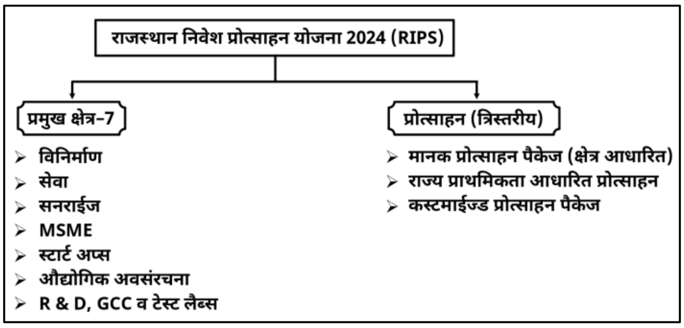

- लॉन्च – 8 अक्टूबर 2024 को
- अवधि – 31 मार्च 2019 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- उद्देश्य – राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना।
- राजस्थान सरकार ने 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना **(Rajasthan Investment Promotion Scheme–RIPS 2024)** लागू की।
- यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, जिसका

❖ **उद्देश्य—**
- निवेश आकर्षित करना
- औद्योगिकीकरण को गति देना
- रोजगार सृजन
- निर्यात बढ़ाना
- हरित उद्योगों को प्रोत्साहन
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा विकसित करना है।

❖ **RIPS-2024 के प्रमुख उद्देश्य**
- विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार
- सेवा क्षेत्र का विकास
- सनराइज सेक्टर को बढ़ावा
- MSME को प्रोत्साहन
- स्टार्टअप संस्कृति का विकास
- अनुसंधान एवं विकास (R&D)
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)
- परीक्षण प्रयोगशालाओं का विकास
- पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहन

❖ **RIPS-2024 के अंतर्गत पात्र क्षेत्र**
- योजना के अंतर्गत कुल 7 श्रेणियों में मानक प्रोत्साहन दिया जाता है—
- विनिर्माण उद्योग
- सेवा क्षेत्र
- MSME
- स्टार्टअप
- औद्योगिक अवसंरचना
- Sunrise Industries
- GCC
- R&D
- परीक्षण प्रयोगशालाएँ

RIPS-2024 के प्रमुख वित्तीय प्रोत्साहन

1. परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (Asset Creation Incentive)
- यदि कोई उद्योग निर्धारित न्यूनतम निवेश करता है, तो उसे 7 वर्षों तक राज्य कर (State Tax) की 75% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

❖ **न्यूनतम निवेश—**
- विनिर्माण : ₹50 करोड़
- MSME : ₹25 करोड़
- सेवा क्षेत्र : ₹25 करोड़
- पर्यटन : ₹10 करोड़

2. वैकल्पिक प्रोत्साहन
- उद्योग निम्न में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकता है—
- पूंजी अनुदान (Capital Subsidy)
- टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
- परिसंपत्ति आधारित प्रोत्साहन
- इनका वितरण वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद **10 वर्षों** तक किया जाता है।

3. अतिरिक्त प्रोत्साहन (Top-up Incentives)
- विशेष श्रेणी की इकाइयों को अतिरिक्त लाभ दिए जाते हैं—
- Employer Booster
- Regional Anchor Booster
- Sectoral Anchor Booster
- इनका उद्देश्य बड़े उद्योगों के साथ सहायक उद्योगों का विकास करना है।

4. अन्य प्रमुख रियायतें

❖ **योजना के अंतर्गत—**
- 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट
- मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति
- स्टाम्प शुल्क में 75% छूट एवं 25% प्रतिपूर्ति
- भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट
- बैंकिंग एवं ट्रांसमिशन शुल्क में रियायतें प्रदान की जाती हैं।

❖ **RIPS-2024 की उपलब्धियाँ दिसम्बर 2025 तक—**
- 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
- प्रस्तावित निवेश लगभग ₹1.65 लाख करोड़ रहा।
- यह राज्य में निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति–2025

- **जारी –** 31 मार्च 2025
- **अवधि –** 31 मार्च 2029 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- **उद्देश्य –** राज्य की लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा वृहद् स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना है।
- औद्योगिक विकास में उत्पादन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उत्पादों का कम लागत, कम समय एवं सुरक्षित परिवहन। इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति–2025 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में आधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास, माल परिवहन लागत में कमी, निजी निवेश को प्रोत्साहन तथा राजस्थान को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है।
- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति उत्तर एवं पश्चिम भारत को जोड़ने वाली होने के कारण यह नीति राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

❖ **उद्देश्य**
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना।
- आधुनिक वेयरहाउस एवं कोल्ड चेन का विकास।
- निजी निवेश को आकर्षित करना।
- निर्यात को बढ़ावा देना।
- उद्योगों के लिए तेज एवं सुगम परिवहन व्यवस्था विकसित करना।
- राजस्थान को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाना।

प्रमुख प्रावधान

1. पूंजी अनुदान (10 वर्ष)
- निम्न अवसंरचनाओं की स्थापना हेतु पात्र स्थायी पूंजी निवेश (EFCI) का 25% पूंजी अनुदान प्रदान किया जाएगा—
- वेयरहाउस
- कोल्ड स्टोरेज
- साइलो
- कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS)
- एयर फ्रेट स्टेशन
- कार्गो टर्मिनल

- ड्राई पोर्ट
- यह अनुदान अधिकतम ₹5 करोड़ से ₹50 करोड़ तक निर्धारित सीमा के अनुसार दिया जाएगा।

2. ब्याज अनुदान

- योग्य परियोजनाओं को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान अधिकतम ₹50 लाख प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा।
- 7 वर्ष तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छुट
- 7 वर्ष तक मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति
- भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छुट और 25 प्रतिशत पुनर्भरण

3. कौशल विकास सहायता

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने हेतु
- प्रशिक्षण लागत का 50%
- अधिकतम ₹4,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह
- अधिकतम 6 माह तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4. प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु सहायता

- नीति में स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा दिया गया है।
- **इसके अंतर्गत—**
- ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50% (₹2,000 प्रति ट्रक तक)
- लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर की लागत का 50% (₹2 लाख तक)
- फायर डिटेक्शन सिस्टम पर 20% सहायता (₹10 लाख तक) प्रदान की जाती है।

5. हरित प्रोत्साहन (Green Incentive)

- पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं हेतु
- परियोजना लागत का 50%
- अधिकतम ₹12.5 करोड़ तक सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान डेटा सेंटर नीति–2025

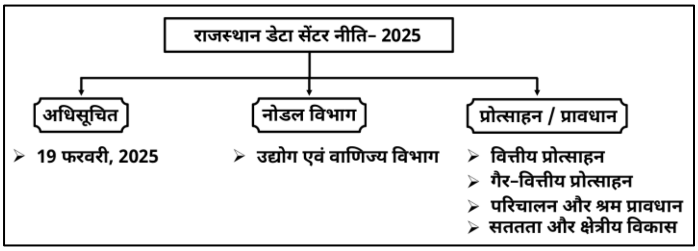

- **जारी –** 31 मार्च 2025
- **नोडल विभाग –** उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- **अधिसूचित –** 19 फरवरी, 2025 को
- **अवधि –** 31 मार्च 2029 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- **उद्देश्य –** राज्य में एक मजबूत, सुरक्षित और सतत डेटा सेंटर इकोसिस्टम स्थापित करना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार, क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, ई-गवर्नेंस एवं डेटा लोकलाइजेशन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को राजस्थान डेटा सेंटर नीति–2025 अधिसूचित की।
- इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
- **उद्देश्य**
- डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
- AI एवं क्लाउड सेवाओं का विकास।
- Tier-2 एवं Tier-3 शहरों का डिजिटल विकास।
- हरित एवं ऊर्जा दक्ष डेटा सेंटर स्थापित करना।

प्रोत्साहन / प्रावधान :

- **वित्तीय प्रोत्साहन :**
- परिसंपत्ति सृजन अनुदान के अंतर्गत निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्न ओवर आधारित प्रोत्साहन में से किसी एक का चयन।
- प्रथम 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए विशेष सनराइज प्रोत्साहन (बूस्टर प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान और कैप्टिव ऊर्जा उपयोग संबंधित लाभ)।
- **गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और भवन मानदंड –** उच्च फ्लोर एरिया रेशियो (AFR), फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, प्री-फैब्रिकेटेड और मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयों की अनुमति, मल्टी-लेवल डीजल जनरेटर स्टैकिंग और शीघ्र संचालन हेतु आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल है।
- **परिचालन और श्रम प्रावधान –**
- डेटा सेंटर क्षेत्र को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (ESMA) के अंतर्गत एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सभी पारियों में महिलाओं का सुरक्षित नियोजन।
- डाटा सेंटर्स को 24 × 7 संचालन की अनुमति।
- श्रम कानूनों के तहत स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) की सुविधा।
- **सततता और क्षेत्रीय विकास –**
- नवीकरणीय ऊर्जा जल संरक्षण ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरणीय संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सततता पर बल।
- डेटा प्रसारण में होने वाले विलम्ब को कम करने, डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने तथा उभरते शहरी केंद्रों की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में डेटा सेंटर्स के विकास को प्रोत्साहन।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति–2025

- **परिचय**
- राजस्थान वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा, जयपुर आदि जिले वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं।
- राज्य को Global Textile & Apparel Manufacturing Hub बनाने के उद्देश्य से 13 फरवरी 2025 को राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 लागू की गई।
- **उद्देश्य**
- वस्त्र उद्योग में निवेश बढ़ाना।
- रोजगार सृजन।
- निर्यात बढ़ाना।
- आधुनिक तकनीक अपनाना।
- पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र उद्योग विकसित करना।
- **प्रमुख प्रोत्साहन**
- 10 वर्षों तक परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन
- निवेश अनुदान
- पूंजी अनुदान
- टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन
- राज्य कर प्रतिपूर्ति
- 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट
- स्टाम्प शुल्क एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट
- पर्यावरण परियोजनाओं पर 50% सहायता (₹12.5 करोड़ तक)
- फ्रेट सब्सिडी
- कौशल विकास सहायता
- पेटेंट एवं कॉपीराइट सहायता

दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC)

❖ **परिचय**

◈ दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के मध्य विश्वस्तरीय औद्योगिक, विनिर्माण एवं निवेश क्षेत्रों का विकास करना है। यह परियोजना पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे (Western Dedicated Freight Corridor–WDFC) के समानांतर विकसित की जा रही है।

◈ राजस्थान इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार राज्य है क्योंकि DMIC का सबसे बड़ा भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। इसके माध्यम से राज्य में औद्योगिकीकरण, निर्यात, रोजगार तथा आधारभूत संरचना को नई गति मिली है।

❖ **उद्देश्य**

◈ DMIC का उद्देश्य केवल औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना नहीं है, बल्कि उद्योग, परिवहन, शहरीकरण एवं निवेश को एकीकृत रूप से विकसित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—

◈ विश्वस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।

◈ विदेशी एवं घरेलू निवेश आकर्षित करना।

◈ विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना।

◈ लॉजिस्टिक्स लागत कम करना।

◈ निर्यात क्षमता बढ़ाना।

◈ रोजगार के नए अवसर सृजित करना।

◈ स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करना।

राजस्थान में DMIC का महत्व

❖ **राजस्थान में DMIC के विकास से–**

◈ औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई।

◈ नए औद्योगिक शहर विकसित हुए।

◈ निर्यात को बढ़ावा मिला।

◈ लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई।

◈ सड़क एवं रेल नेटवर्क मजबूत हुआ।

◈ MSME एवं सहायक उद्योगों का विकास हुआ।

◈ लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना बनी।

राजस्थान में DMIC के प्रमुख निवेश क्षेत्र

1. खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (KBNIR)

◈ यह राजस्थान का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक निवेश क्षेत्र है।

❖ **विशेषताएँ**

◈ अलवर एवं कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में स्थित।

◈ जापानी, कोरियाई एवं अन्य विदेशी कंपनियों का प्रमुख निवेश क्षेत्र।

◈ ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विनिर्माण उद्योगों का केन्द्र।

◈ विश्वस्तरीय औद्योगिक आधारभूत संरचना।

2. जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र

◈ यह क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास का प्रमुख केन्द्र है।

❖ **प्रमुख उद्योग**

◈ टेक्सटाइल ◈ फर्नीचर

◈ हस्तशिल्प ◈ इंजीनियरिंग

◈ कृषि आधारित उद्योग

3. अजमेर–किशनगढ़ निवेश क्षेत्र

❖ मुख्य रूप से—

◈ मार्बल उद्योग

◈ लॉजिस्टिक्स

◈ वेयरहाउस

◈ इंजीनियरिंग उद्योग के विकास हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्र।

पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा (WDFC)

❖ **परिचय**

◈ पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा भारत का सबसे बड़ा मालवाहक रेल कॉरिडोर है। इसका उद्देश्य माल परिवहन को तेज, सुरक्षित एवं कम लागत वाला बनाना है।

◈ यह कॉरिडोर **उत्तर प्रदेश के दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT)** तक विकसित किया जा रहा है।

❖ **राजस्थान में महत्व –**

राजस्थान में WDFC के कारण—

◈ उद्योगों की परिवहन लागत कम हुई।

◈ निर्यात में वृद्धि हुई।

◈ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत हुआ।

◈ ड्राई पोर्ट एवं वेयरहाउस विकसित हुए।

◈ DMIC परियोजनाओं को गति मिली।

राजस्थान में औद्योगिक पार्क

◈ राज्य सरकार एवं RIICO द्वारा विभिन्न विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं ताकि उद्योगों का क्लस्टर आधारित विकास हो सके।

प्रमुख औद्योगिक पार्क

1. टेक्सटाइल पार्क

❖ प्रमुख स्थान—

1. भीलवाड़ा 2. पाली
3. बालोतरा

◈ ये पार्क वस्त्र उद्योग, प्रोसेसिंग एवं निर्यात को बढ़ावा देते हैं।

2. सिरेमिक पार्क – गजनेर (बीकानेर)

❖ उद्देश्य—

◈ सिरेमिक उद्योग का विकास

◈ निवेश आकर्षित करना

◈ रोजगार सृजन

3. स्टोन पार्क – गुण्डी फतेहपुर (कोटा)

❖ मुख्य उद्देश्य—

◈ पत्थर आधारित उद्योग ◈ कटिंग एवं प्रोसेसिंग

◈ निर्यात संवर्धन

4. वेस्ट रिसाइक्लिंग पार्क – कोटा

◈ यह राज्य का पहला संगठित औद्योगिक रिसाइक्लिंग पार्क है।

5. आईटी पार्क – अजमेर

❖ **उद्देश्य—**

◈ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ◈ स्टार्टअप

◈ सॉफ्टवेयर सेवाएँ ◈ डिजिटल रोजगार

कनेक्टिविटी

1. वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

❖ **उद्देश्य –** देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है।

❖ **विशेषताएँ –**

◈ भारत की अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाना।

◈ दादरी (उत्तर प्रदेश) एवं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई) के मध्य माल परिवहन गलियारा का निर्माण।

◈ कुल लंबाई 1,504 किलोमीटर।

◈ कॉरिडोर का लगभग 39 % हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है।

◈ यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है।

◈ सहायता – जापान

2. दिल्ली–मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर

◈ उद्देश्य– दिल्ली (राजधानी) और मुंबई (वित्तीय राजधानी) के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना।

◈ WDFC के दोनों तरफ 150 कि.मी. की पट्टी को DMIC के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें राजस्थान में

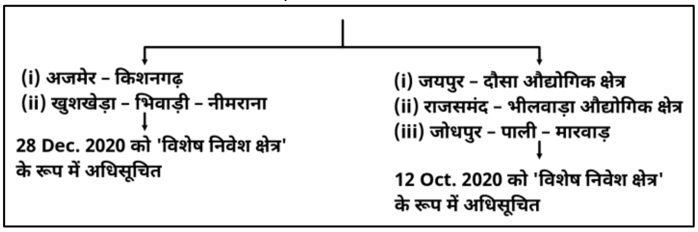

◈ राजस्थान में DMIC का प्रथम चरण में निम्न का विकास होगा :–
(A) खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराना निवेश क्षेत्र (165 कि.मी.^{2})
(B) जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (154 कि.मी.^{2})

◈ इनके विकास हेतु एक संयुक्त 'स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी' (SPV) राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (RIDCO) की स्थापना 15 मार्च, 2022 को की गई।

राजस्थान MSME नीति–2024

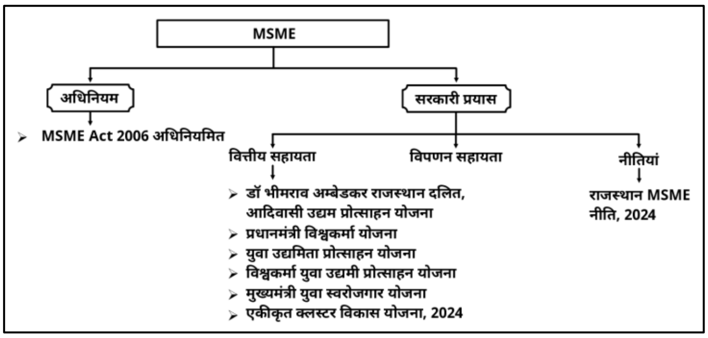

❖ **परिचय**

◈ राजस्थान की औद्योगिक संरचना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राज्य की अधिकांश औद्योगिक इकाइयाँ इसी श्रेणी में आती हैं।

◈ इसी कारण राज्य सरकार ने **राजस्थान** MSME नीति–2024 लागू की।

❖ **उद्देश्य**

1. नए MSME स्थापित करना। 2. रोजगार बढ़ाना।
3. महिला एवं युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन।
4. तकनीकी उन्नयन। 5. डिजिटल परिवर्तन।
6. निर्यात क्षमता विकसित करना।
7. वित्त तक आसान पहुँच उपलब्ध कराना।

नीति के प्रमुख स्तम्भ

1. वित्तीय सहायता

◈ पूंजी अनुदान
◈ ब्याज अनुदान
◈ गुणवत्ता प्रमाणन सहायता
◈ तकनीकी उन्नयन सहायता

2. Ease of Doing Business

◈ Single Window System
◈ ऑनलाइन अनुमतियाँ
◈ Self Certification
◈ समयबद्ध स्वीकृति

3. प्रौद्योगिकी विकास

◈ Industry 4.0, Artificial Intelligence, Automation, Digital Manufacturing

4. कौशल विकास

◈ उद्योग आधारित प्रशिक्षण
◈ Skill Upgradation
◈ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण

5. महिला एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन

❖ **विशेष प्रोत्साहन—**

◈ महिला उद्यमी
◈ अनुसूचित जाति
◈ अनुसूचित जनजाति
◈ दिव्यांग उद्यमी
◈ स्टार्टअप इकाइयाँ

MSME का महत्व

❖ **राजस्थान में MSME—**

◈ सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं।
◈ स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं।
◈ ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
◈ निर्यात में योगदान देते हैं।
◈ बड़ी उद्योग इकाइयों के सहायक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं।
◈ संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करते हैं।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

❖ **परिचय**

◈ पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उनके कौशल का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 17 सितम्बर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारम्भ की गई। राजस्थान में भी यह योजना प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है।

◈ इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण एवं बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

❖ **प्रावधान**

◈ पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र – कौशल प्राप्त पेशेवरो को मान्यता हेतु।

◈ कौशल संवर्धन प्रशिक्षण – प्रतिदिन 500 रुपये के स्टाई पेड को साथ-साथ 5-7 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण एवं 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण

◈ टूलकिट सहायता – 15000 रुपये उपकरण खरीदने हेतु।

◈ बिना गारंटी ऋण – 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण 2 किश्तों में 1 लाख (18 माह) और 2 लाख (30 माह) तक।

◈ डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन – प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन प्रति लेनदेन पर 1 रुपये का प्रावधान।

❖ **योजना के प्रमुख लाभ**

◈ कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
◈ आधुनिक टूलकिट हेतु सहायता
◈ बिना गारंटी ऋण सुविधा
◈ डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन
◈ विपणन (Marketing) सहायता
◈ ब्रांडिंग एवं उत्पाद विकास

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (CMYSY)

◈ लागू :- 15 जनवरी 2026

◈ पात्रता :- राज्य के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग।

◈ उद्देश्य:- 1 लाख युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना।

◈ इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थान उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु निम्नानुसार मार्जिन मनी और शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेंगे–

i. 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक

अ) ब्याज अनुदान :

◈ सेवा एवं व्यापार क्षेत्र ₹3.5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।

◈ विनिर्माण क्षेत्र– ₹7.5 lakh तक की अधिकतम ऋण सीमा।

ब) मार्जिन मनी सहायता – ऋण राशि का 10% (₹35 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।

ii. स्नातक/आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक अथवा उच्च योग्यता वाले आवेदक

अ) ब्याज अनुदान :

- ◈ सेवा एवं व्यापार क्षेत्र ₹5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
- ◈ विनिर्माण क्षेत्र– ₹10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा।

ब) मार्जिन मनी सहायता ऋण राशि का 10 % (₹50 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।

iii. CGTMSE शुल्क प्रतिपूर्ति :- CGTMSE के अन्तर्गत देय शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम

- ◈ राजस्थान सरकार नवाचार (Innovation) एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप संस्कृति का विकास कर रही है।

❖ **प्रमुख उद्देश्य**

- ◈ Innovation आधारित उद्यम विकसित करना।
- ◈ युवाओं को Job Seeker से Job Creator बनाना।
- ◈ Incubation Centres की स्थापना।
- ◈ Venture Capital एवं Seed Funding को बढ़ावा।
- ◈ विश्वविद्यालयों एवं उद्योगों के बीच समन्वय।

राजस्थान निर्यात संवर्धन

- ◈ औद्योगिक विकास के साथ-साथ निर्यात वृद्धि भी राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।
- ◈ राजस्थान से प्रमुख रूप से निम्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है—
- ◈ रत्न एवं आभूषण
- ◈ संगमरमर एवं ग्रेनाइट
- ◈ टेक्सटाइल एवं गारमेंट
- ◈ हस्तशिल्प
- ◈ इंजीनियरिंग उत्पाद
- ◈ रसायन
- ◈ कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद
- ◈ राज्य सरकार निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स, विपणन, गुणवत्ता प्रमाणन तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु सहायता प्रदान करती है।

एक जिला एक उत्पाद (ODOP)

- ◈ घोषणा – 8 दिसम्बर, 2024

❖ **उद्देश्य –**

- ◈ प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
- ◈ प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना।

❖ **विशेषताएँ –**

- ◈ स्थानीय उद्योगों हेतु सहयोग व क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।
- ◈ उत्पाद मूल्य श्रृंखलाओं को बेहतर बनाना।
- ◈ जिले के अद्वितीय उत्पादों एवं सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर प्रोत्साहन देना।
- ◈ वित्तीय, तकनीकी व विपणन सहायता प्रदान करना।
- ◈ एक जिला–एक उत्पाद – सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों (DEPC) का गठन किया है।

Ease of Doing Business (EoDB)

- ◈ राजस्थान सरकार ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं।

राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम–2011

❖ **राज निवेश पोर्टल – One stop Shop सुविधा**

- ◈ राजस्थान में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना।
- ◈ राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम–2011 के द्वारा स्थापित।
- ◈ वर्तमान में निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर 19 विभागों की 181 सेवाएँ एकीकृत की जा चुकी हैं।

❖ **विवाद और निवारण तंत्र (DRM) –** नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया।

- ◈ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान :- 2024
- ◈ जारीकर्ता – उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
- ◈ उद्देश्य – ease of doing business हेतु किये गए विनियामक सुधारों के आधार पर राज्यों व UT का मूल्यांकन करना।

❖ **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–**2024 के अंतर्गत बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड सर्विस सेक्टर श्रेणी में राजस्थान 'टॉप अचीवर' के रूप में अंकित हुआ है।

- ◈ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान–2026 :– क्रियान्वयन अवधि 15 नवंबर 2025 से 15 जुलाई 2026।

❖ **राजस्थान में औद्योगिकीकरण की चुनौतियाँ**

- ◈ औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं—
- ◈ जल की कमी
- ◈ कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त औद्योगिक आधारभूत संरचना
- ◈ MSME के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी
- ◈ कुशल श्रमिकों की उपलब्धता
- ◈ वैश्विक प्रतिस्पर्धा
- ◈ पर्यावरणीय चुनौतियाँ
- ◈ अनुसंधान एवं नवाचार में अपेक्षाकृत कम निवेश

निर्यात सामग्री

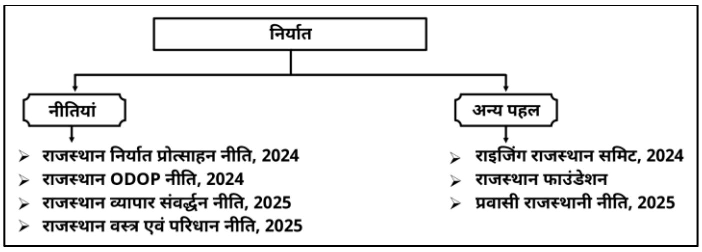

- ◈ राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, राज्य का कुल निर्यात ₹97,171 करोड़ रहा, जो इससे पिछले वर्ष ₹83,704 करोड़ था। पहले छमाही में निर्यात ₹50,900 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया था।

1. समष्टि आर्थिक प्रवृत्तियाँ

- ◈ **कुल निर्यात मूल्य (FY 2024-25):** वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात ₹97,171 करोड़ दर्ज किया गया।
- ◈ **तुलनात्मक वृद्धि:** यह वर्ष 2023-24 के ₹83,704 करोड़ के मुकाबले 16.08% की वार्षिक वृद्धि (YoY Growth) को दर्शाता है।
- ◈ **चालू वित्त वर्ष का रुझान (FY 2025-26):** भारत सरकार के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (First Half) में ही राज्य से ₹50,900 करोड़ से अधिक का निर्यात हो चुका है, जो इस गति के बने रहने पर आगामी वर्ष में ₹1 लाख करोड़ के पार जाने का संकेत है।

2. निर्यात की संरचना एवं शीर्ष उत्पाद

- ◈ राजस्थान के कुल निर्यात बास्केट में विविधीकरण (Diversification) देखा गया है। राज्य के शीर्ष 5 उत्पादों का कुल निर्यात में 67% से अधिक का योगदान है:

क्रमांक	प्रमुख निर्यात उत्पाद समूह	आर्थिक विशेषता / महत्व
1	इंजीनियरिंग वस्तुएँ	तकनीकी मूल्य-वर्धन में निरंतर वृद्धि।
2	रत्न एवं आभूषण	जयपुर वैश्विक स्तर पर रंगीन रत्नों का प्रमुख केंद्र है।
3	धातुएँ	जस्ता, सीसा और तांबा के समृद्ध खनिज भंडार आधारित निर्यात।
4	कपड़ा	भीलवाड़ा (टेक्सटाइल सिटी) और बालोतरा के रेडीमेड गारमेंट्स का वैश्विक बाजार।
5	हस्तशिल्प	जोधपुर और जयपुर से लकड़ी एवं धातु जनित हस्तशिल्प वस्तुओं की उच्च मांग.

3. एमएसएमई (MSME) और निर्यात का सह-संबंध

◈ रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला : राज्य में 33 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई इकाइयाँ संचालित हैं। यह क्षेत्र निर्यात वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'गुणक प्रभाव' पैदा कर रहा है।

◈ स्थानीयता को बढ़ावा: हस्तशिल्प, कपड़ा और कृषि आधारित निर्यात पूरी तरह से स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय श्रम बल पर निर्भर हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम हो रहा है।

4. निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकार की नीतिगत पहलें

◈ राज्य सरकार ने 'विकसित राजस्थान @2047' के रोडमैप के तहत कई कदम उठाए हैं:

◈ **मिशन निर्यातक बानो:** स्थानीय उत्पादकों को सीधे निर्यात प्रक्रियाओं से जोड़ने, सीमा शुल्क (Customs) और लॉजिस्टिक्स का प्रशिक्षण देने हेतु इसे संस्थागत रूप दिया गया है।

◈ एक जिला एक उत्पाद (ODOP - One District One Product): राज्य के सभी 50 जिलों के विशिष्ट स्थानीय उत्पादों की पहचान कर उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा रहा है (जैसे- जालौर का ग्रेनाइट, बीकानेर का भुजिया/हस्तशिल्प, कोटा का स्टोन)।

◈ नवीन एमएसएमई नीति 2024: विनिर्माण और डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विस्तार के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है।

◈ निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (EPIP): सीतापुरा (जयपुर), बोरनाडा (जोधपुर) और नीमराना (अलवर) में निर्यात उन्मुख बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

◈ राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (REPC): निर्यातकों की समस्याओं के त्वरित निवारण और वैश्विक प्रदर्शनियों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन 2024

◈ समय सीमा: यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

❖ **उद्देश्य:** लगातार और सबको साथ लेकर निर्यात में बढ़ोतरी करना।

◈ छोटे और मझोले उद्योगों के लोकल हैंडीक्राफ्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में वैरायटी लाना।

❖ **प्रमुख प्रावधान:–**

◈ पेपरवर्क, क्वालिटी और मैनेजमेंट सर्टिफिकेट के लिए मदद: हर यूनिट को सालाना आने वाले खर्च का आधा (50 प्रतिशत), जो कि ज्यादा से ज्यादा ₹5 लाख तक हो सकता है, वित्तीय मदद के तौर पर मिलेगा।

◈ मार्केटिंग सपोर्ट: इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (व्यापार मेलों) में हिस्सा लेने वाले योग्य उद्योगों को उनके खर्च का 75 फीसदी वापस दिया जाएगा। इसके साथ ही आने-जाने के लिए 2 साल में एक बार अधिकतम ₹3 लाख तक की सहायता मिलेगी।

◈ प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बढ़ावा: एक्सपोर्ट यूनिट्स को अपने उत्पादों का सर्टिफिकेट लेने में हुए खर्च का 75% रिफंड किया जाएगा, जिसकी लिमिट प्रति शिपमेंट अधिकतम ₹20,000 और सालाना अधिकतम ₹3 लाख तय है।

◈ तकनीक को अपग्रेड करने में सहायता: नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने या उसे बेहतर बनाने के लिए हुए खर्च का 75% (अधिकतम ₹50 लाख तक) वापस लौटाया जाएगा।

◈ ई-कॉमर्स के लिए प्रोत्साहन: ऑनलाइन माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लगने वाली कुल फीस का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹2 लाख तक) रीइंबर्स किया जाएगा।

◈ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस: निर्यात करने वाले उद्योगों को ईसीजीसी (ECGC) में जमा कराए गए प्रीमियम का आधा यानी 50% हिस्सा (सालाना अधिकतम ₹2 लाख प्रति यूनिट) वापस दिया जाएगा।

◈ **नोट:–** इस पॉलिसी के तहत जो इकाइयाँ पहली बार विदेशों में सामान भेज रही हैं (फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स), उन्हें रिप्स-2024 (RIPS–2024) के तहत माल ढुलाई/भाड़े के खर्च पर 25% की छूट दी जाएगी, जो प्रति इकाई अधिकतम ₹25 लाख तक हो सकती है।

❖ **ओ.डी.ओ.पी. (ODOP) नीति–2024 के अंतर्गत जिलावार चिन्हित उत्पाद**

क्र. सं.	जिला	ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद
1	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4	बाँसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
5	बारां	लहसुन उत्पाद
6	बाड़मेर	कशीदाकारी
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर
8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
11	बूंदी	सैंडस्टोन
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
13	चूरू	लकड़ी के उत्पाद
14	दौसा	पत्थर आधारित उत्पाद
15	डीडवाना-कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
18	डूंगरपुर	मार्बल उत्पाद
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
20	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
21	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
22	जालौर	ग्रेनाइट उत्पाद
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
24	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
26	करौली	सैंडस्टोन उत्पाद
27	खैरथल-तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
28	कोटा	कोटा डोरिया
29	कोटपूतली-बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
30	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद
32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
34	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
35	सवाई माधोपुर	क्वार्ट्ज
36	सलूम्बर	मार्बल उत्पाद
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
38	सिरोही	मार्बल उत्पाद
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम					
क्र.सं.	**उपक्रम का नाम**	**स्थान**	**स्थापना वर्ष**	**उद्देश्य**	**महत्वपूर्ण तथ्य**
1.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	जयपुर	1964	सांभर झील से नमक उत्पादन	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक इकाई
2.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	कोटा	1964	इलेक्ट्रॉनिक मशीनें एवं रासायनिक यंत्र निर्माण	30 नवंबर, 2016 को बंद करने का निर्णय
3.	मॉडर्न बेकरीज	जयपुर	1965	ब्रेड और बेकरी उत्पादों का निर्माण	मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की इकाई
4.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL)	उदयपुर	10 जनवरी, 1966	जस्ता खनन और परिशोधन	2005 में निजीकरण
5.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL)	खेतड़ी, झुंझुनू	नवंबर, 1967	तांबा खनन और उत्पादन	खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को बंद करने का निर्णय
6.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT)	अजमेर	1967	इंजीनियरिंग, मशीनरी एवं ग्राइंडिंग मशीन निर्माण	2017 में बंद कर दिया गया
7.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (RDPL)	जयपुर	1978	औषधि निर्माण	इसे बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है।
8.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL)	जयपुर	-	इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें एवं विद्युत उत्पादन उपकरण निर्माण	51% केंद्र सरकार और 49% राजस्थान सरकार (रीको) की भागीदारी

राजस्थान सरकार के उपक्रम			
क्रम संख्या	**उपक्रम का नाम**	**स्थापना वर्ष**	**उद्देश्य/महत्वपूर्ण तथ्य**
वैधानिक बोर्ड/निगम			
1.	राजस्थान वित्त निगम (RFC)	1955	उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
2.	राजस्थान राज्य भंडारण निगम (RSWC)	1957	कृषकों को कृषि आदानों एवं उपजों के भंडारण की सुविधाएँ प्रदान करना
3.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC)	1964	नागरिकों को पथ परिवहन सेवाएँ उपलब्ध कराना
4.	राजस्थान आवासन मंडल (RHB)	1970	राज्य में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति
5.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSANB)	1974	कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मंडियों की स्थापना एवं संचालन
6.	राजस्थान भूमि विकास निगम (RLDC)	1975	भूमि एवं जल संसाधनों के विकास से संबंधित कार्य
पंजीकृत कंपनियाँ			
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1961	लघु उद्योगों को बढ़ावा देना
2.	राजस्थान होटल निगम लिमिटेड	1964	होटल उद्योग को विकसित करना
3.	राजस्थान कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	1969	कृषि आधारित उद्योगों का विकास
4.	राजस्थान बीज निगम लिमिटेड	1978	उन्नत बीजों का उत्पादन एवं वितरण
5.	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1979	राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना
6.	राजस्थान रोड डवलपमेंट व कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	1979	सड़क अवसंरचना विकास
7.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	1984	जल संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन
8.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1985	हथकरघा उद्योगों के विकास हेतु कार्य
9.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम	2000	विद्युत ट्रांसमिशन का प्रबंधन
10.	रीको (RIICO)	-	औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना
11.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	-	खनन और खनिज संसाधनों का प्रबंधन
12.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	-	नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना
13.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	-	इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का उत्पादन
14.	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	-	चीनी उद्योग का संचालन
15.	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम	-	बिजली उत्पादन
विभागीय उपक्रम			
1.	राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, पचपदरा (बाड़मेर)	1960	खनिज रसायन उत्पादन, 1992 में निजीकरण
2.	राजस्थान स्टेट केमिकल, डीडवाना	1964	लवण उत्पादन एवं प्रसंस्करण

राजस्थान के विशेष औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स

- राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई विशेष औद्योगिक पार्क और कॉम्प्लेक्स विकसित किए हैं। ये पार्क विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायक हैं।

1. जापानी औद्योगिक पार्क एवं साउथ कोरियन औद्योगिक जोन:

- **जापानी पार्क (नीमराणा, कोटपूतली-बहरोड़)**
- **विकासकर्ता-** रीको एवं जापानी संस्था **JETRO** (Japanese External Trade Promotion Organisation)
- **प्रमुख कंपनियाँ-** मित्सुबिशी, निसान, मित्सुई, डाइकिन, डाइनिची कलर आदि।
- **वर्तमान स्थिति-** 49 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत।
- **साउथ कोरियन औद्योगिक जोन (घीलोट, नीमराणा)**
- **विकासकर्ता-** RIICO एवं **COTRA** (Korea Trade Investment Promotion Agency)
- **विशेषता:** ग्लास एवं सिरेमिक हब, 534 एकड़ क्षेत्र में फैला।

2. प्रमुख औद्योगिक पार्क-

- जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क - EPIP, सीतापुरा (जयपुर)
- स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन - खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा)
- मेडिकल डिवाइसेस पार्क – बोरानाड़ा (जोधपुर)
- फिनटेक पार्क - जोधपुर
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट - जोधपुर
- साइबर पार्क - जोधपुर (रीको द्वारा स्थापित)
- सिरेमिक्स पार्क - खारा (बीकानेर)
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क - कनकपुरा (जयपुर)
- सूचना प्रौद्योगिकी पार्क - EPIP सीतापुरा एवं रामचंद्रपुरा (जयपुर)
- वर्ल्ड ट्रेड पार्क - जयपुर

3. खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित पार्क-

- **फूड पार्क (RIICO द्वारा स्थापित 4 कृषि खाद्य पार्क)-**

1. धनपुरा (कोटा) - 139.80 हेक्टेयर
2. बोरानाड़ा (जोधपुर) - 193.54 हेक्टेयर
3. अलवर - 185.94 हेक्टेयर
4. उद्योग विहार (गंगानगर) - 81.14 हेक्टेयर

- **मेगा फूड पार्क-**
- **ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क - रूपनगढ़ (अजमेर)** (राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क)
- **मिनी फूड पार्क - विभिन्न जिलों में मिनी पार्क स्थापित किए जाएंगे।**
- **मिनी एग्रो पार्क - निवाई (टोंक)** (बजट 2022)
- **बंगा फूड पार्क - पलाना (बीकानेर)** (प्रस्तावित)

4. विशेष उत्पाद आधारित औद्योगिक केंद्र-

- **स्पाईस पार्क-**
- **रामपुरा भाटियान (जोधपुर)** - 2012 में उद्घाटन
- **रामगंज मंडी (कोटा)** - देश का सातवाँ स्पाईस पार्क
- **स्टोन पार्क-**
- विशनोदा (धौलपुर), मंडोर (जोधपुर), सिकंदरा (दौसा), मंडाना (कोटा), मासलपुर (करौली)
- **बायो टेक्नोलॉजी पार्क-**
- सीतापुरा (जयपुर), चोपंकी (भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा)
- **एपैरल पार्क-**
- **महल (जगतपुरा, जयपुर) एवं कारोला (भिवाड़ी, खैरथल-तिजारा)**
- **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स:**
- कुकस (जयपुर), कोटा

5. अनुसंधान केंद्र-

- केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान (CEERI) - पिलानी (झुंझुनूं)
- CIPET (सेंटर फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) - जयपुर
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) - जोधपुर (स्थापना- 2010)
- फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट - जोधपुर
- हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केन्द्र - जयपुर
- सेन्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड क्लाइमेट चेंज – जयपुर
- **नवीनतम औद्योगिक जोन (बजट 2024-25):**
- पेट्रो केमिकल जोन - पचपदरा (बालोतरा)
- प्लग एंड प्ले जोन - सीतापुरा (जयपुर)
- सिरेमिक एंड ग्लास जोन - सोनियाना (चित्तौड़गढ़)
- आर्टिफिशियल ज्वैलरी जोन - बड़गाँव (सिरोही)
- एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन - तिंवरी (जोधपुर)
- ग्रेनाइट जोन - बग्गड़ (राजसमंद)
- हैंड टूल जोन - गोगेलाव (नागौर)
- फिनटेक पार्क - जयपुर
- टेक्सटाइल पार्क - भीलवाड़ा
- सिरेमिक पार्क - बीकानेर
- इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब - बांदीकुई (दौसा)
- सोलर पैनल मैन्युफेक्चरिंग पार्क - कांकाणी/रोहट (पाली)
- बायोमास पैलेट एवं कैमिकल मैन्युफेक्चरिंग पार्क - बाँसवाड़ा
- टाइल्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क - किशनगढ़ (अजमेर)
- हैण्डीक्राफ्ट पार्क - जोधपुर
- खुशियारा औद्योगिक पार्क - बारां
- आई.टी. पार्क - अजमेर

राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र
1.	जयपुर	जयपुर- विश्वकर्मा, सांगानेर, मालवीय नगर, मानसरोवर, हिंगवाली, हीरावाला। बगरू, बस्सी, मानपुरा माचेड़ी, जैतपुरा, सीतापुरा, बिन्दायका, कुकस, सरणा डूंगरी।
2.	अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र	अलवर- मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। कोटपूतली-बहरोड़- बहरोड़, नीमराणा, शाहजहाँपुर, सोतानाला कॉम्प्लेक्स। खैरथल-तिजारा- भिवाड़ी, टपुकड़ा।
3.	पूर्वी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र	दौसा- बापी। भरतपुर- बृज औद्योगिक क्षेत्र। धौलपुर- बाड़ी, ओदेला रोड, विश्नोदा, ग्रोथ सेंटर धौलपुर। सीकर- पलसाना।
4.	बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान	बीकानेर- खारा, बीछवाल, करणी, रानी बाजार, जामसर, गजनेर। जोधपुर- बासनी, मरुधर, मंडोर। जोधपुर - बोरानाडा, मथानिया, तिंवरी। पाली- नया गाँव।
5.	दक्षिणी राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र	उदयपुर- मादड़ी, गुड़ली, देबारी, भुवाणा, सुखेर, अम्बेरी, लोवरा, उमरड़ा। सिरोही- आबूरोड़ ग्रोथ सेंटर, चंद्रावती ग्रोथ सेंटर।
6.	अजमेर और नागौर क्षेत्र	अजमेर- माखुपुरा, पर्वतपुरा, एचएमटी। केकड़ी- बड़ली। डीडवाना-कुचामन- परबतसर।
7.	कोटा और दक्षिणी राजस्थान के अन्य क्षेत्र	कोटा- नया चेहरा, इन्द्रप्रस्थ, चंबल। भीलवाड़ा- हमीरगढ़, उखलिया।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
2. राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक उत्पादन होता है।
3. वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने 34 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 3
(c) केवल 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3 **[d]**

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. राजस्थान खनिज नीति-2024 का उद्देश्य सतत एवं वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देना है।
2. नीति में Zero Waste Mining की अवधारणा को अपनाया गया है।
3. नीति में खनिज पट्टों का आवंटन लॉटरी प्रणाली से करने का प्रावधान है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 3
(c) केवल 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3 **[a]**

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. झामरकोटड़ा (उदयपुर) रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है।
2. खेतड़ी (झुंझुनूं) जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
उपरोक्त में से—
(a) दोनों कथन सत्य हैं।
(b) दोनों कथन असत्य हैं।
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है।
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है। **[c]**

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. M-Sand नीति-2024 का उद्देश्य नदीय रेत पर निर्भरता कम करना है।
2. M-Sand प्राकृतिक रूप से नदी में बनने वाली रेत है।
उपरोक्त में से—
(a) दोनों कथन सत्य हैं।
(b) दोनों कथन असत्य हैं।
(c) कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है।
(d) कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है। **[c]**

5. मिला कीजिए-

सूची-I (खनिज)	सूची-II (प्रमुख क्षेत्र)
A. ताँबा	1. जालौर
B. रॉक फॉस्फेट	2. झामरकोटड़ा
C. ग्रेनाइट	3. खेतड़ी
D. संगमरमर	4. राजसमंद

सही मिलान का चयन कीजिए—
(a) A-3, B-2, C-1, D-4
(b) A-2, B-3, C-4, D-1
(c) A-3, B-1, C-2, D-4
(d) A-4, B-2, C-3, D-1 **[a]**

6. मिलान कीजिए-

सूची-I (संस्था/नीति)	सूची-II (कार्य)
A. RSMML	1. खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास
B. DMFT	2. राज्य का सार्वजनिक खनन उपक्रम
C. M-Sand नीति	3. कृत्रिम रेत को बढ़ावा
D. राजस्थान खनिज नीति-2024	4. सतत एवं वैज्ञानिक खनन

सही उत्तर है—
(a) A-1, B-2, C-4, D-3
(b) A-2, B-1, C-3, D-4
(c) A-3, B-2, C-1, D-4
(d) A-2, B-3, C-4, D-1 **[b]**

7. कथन (A): राजस्थान को "खनिजों का अजायबघर" कहा जाता है।
कारण (R): राजस्थान में 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं तथा 57 प्रकार के खनिजों का व्यावसायिक उत्पादन होता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—
(a) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है, किन्तु R असत्य है।
(d) A असत्य है, किन्तु R सत्य है। **[a]**

8. कथन (A): राजस्थान में M-Sand नीति-2024 लागू की गई है।
कारण (R): इसका उद्देश्य नदीय रेत के अत्यधिक दोहन को रोकना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
सही उत्तर चुनिए—
(a) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं, किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है, किन्तु R असत्य है।
(d) A असत्य है, किन्तु R सत्य है। **[a]**

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. राजस्थान प्राकृतिक जिप्सम का प्रमुख उत्पादक राज्य है।
2. पचपदरा रिफाइनरी जैसलमेर जिले में स्थित है।
3. बाड़मेर राजस्थान का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक जिला है।
सही उत्तर चुनिए—
(a) केवल 1 एवं 2 सत्य हैं। (b) केवल 1 एवं 3 सत्य हैं।
(c) केवल 2 एवं 3 सत्य हैं। (d) 1, 2 एवं 3 सत्य हैं। **[b]**

10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
1. जावर — जस्ता
2. खेतड़ी — ताँबा
3. जालौर — ग्रेनाइट
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—
(a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 3
(c) केवल 1 एवं 3 (d) 1, 2 एवं 3 **[d]**

♦♦♦♦

राज्य के विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका 02

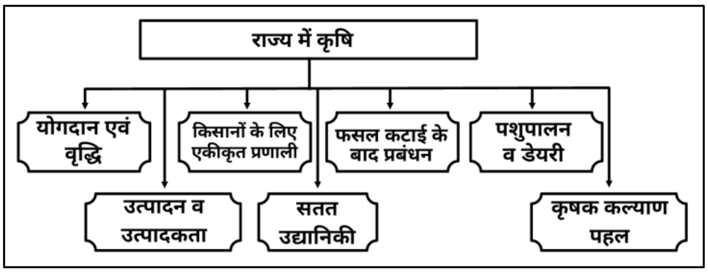

राज्य में कृषि की स्थिति

कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान व वृद्धि

A. GVA –

कृषि व संबद्ध क्षेत्र	स्थिर मूल्यों पर	वृद्धि	प्रचलित मूल्यों पर	वृद्धि
GVA में योगदान (% में)	25.33%	0.22%	25.74%	3.47%
GVA में योगदान (₹ में)	2.23 लाख करोड़		4.41 लाख करोड़	

B. कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान – (प्रचलित मूल्यों पर)

क्षेत्र	योगदान	परिवर्तन
1. पशुधन	49.35%	5.20% वृद्धि
2. फसल क्षेत्र	42.61%	5.01% कमी
3. वानिकी एवं लॉगिंग	7.49%	2.67% वृद्धि
4. मत्स्य क्षेत्र	0.54%	0.87% वृद्धि

नोट : वर्ष 2025-26 में फसल` क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर रूपये 1.88 लाख करोड़ रहा है। एवं पशुधन क्षेत्र का रूपये 2.17 लाख करोड़ रूपये रहा है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का प्रमुख योगदान है।

❖ **प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025–26 में सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.) में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा**

उत्पाद	प्रतिशत हिस्सा
दूध	79.60%
अन्य	12.27%
पोल्ट्री सहित मांस	7.46%
अण्डे	0.67%

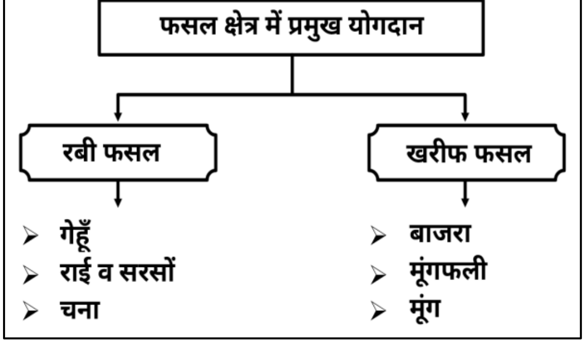

वर्ष 2024–25	फल	सब्जी	मसाले
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	92993	204755	1364822
उत्पादन (मैट्रिक टन में)	1384606	2860484	1469559
उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर में)	14889	13970	1077

समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न

❖ **भू-उपयोग (Land Use):**

❖ **राज्य का कुल क्षेत्रफल:** 343.43 लाख हेक्टेयर

भूमि प्रकार	प्रतिशत
1. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	53.02%
2. बंजर भूमि	10.11%
3. वानिकी	8.30%
4. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	6.85%
5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि	5.96%
6. अन्य चालू पड़त भूमि	5.62%
7. स्थायी चारागाह	4.81%
8. चालू पड़त	5.22%
9. वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	0.11%

❖ **प्रचलित जोतधारक :**

	कृषि गणना (2015–16)	परिवर्तन (2010–11 से)
1. कुल जोतों का क्षेत्रफल	208.73 लाख हेक्टेयर	1.24% कमी
2. कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या	76.55 लाख	11.14% वृद्धि
3. भूमि जोतों का औसत आकार	2.73 हेक्टेयर	11.07% कमी

जोतधारक	आकार	परिवर्तन (क्षेत्रफल)
सीमान्त भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम)	40.12%	19.79% वृद्धि
लघु (1–2 हेक्टेयर)	21.90%	10.50% वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2–4 हेक्टेयर)	18.50%	5.67% वृद्धि
मध्यम (4–10 हेक्टेयर)	14.79%	0.27% कमी
बड़े आकार (10 हेक्टेयर से अधिक)	4.69%	13.20% कमी

नोट : वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत लघु अर्द्ध–मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

◈ **महिला प्रचलित जोतधारक : (2015–16)**

◈ **संख्या –** 7.75 लाख (41.94% वृद्धि)

◈ **क्षेत्रफल –** 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि)

❖ **महिला जोतधारक वर्गीकरण**

महिला जोतधारक	आकार	परिवर्तन
सीमान्त भूमि जोत (1 हेक्टेयर से कम)	49.55	वृद्धि
लघु (Small) (1–2 हेक्टेयर)	20.77	वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2–4 हेक्टेयर)	14.97	वृद्धि
मध्यम (4–10 हेक्टेयर)	11.74	वृद्धि
बड़े आकार (10 हेक्टेयर से अधिक)	2.97	वृद्धि

- कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधारभूत क्षेत्र (Primary Sector) है। राज्य की बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों (पशुपालन, डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन आदि) पर निर्भर है। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- राजस्थान की कृषि मुख्यतः **मानसूनी वर्षा पर आधारित** है। कम एवं अनियमित वर्षा, बार-बार पड़ने वाला सूखा, मरुस्थलीय परिस्थितियाँ तथा सीमित सिंचाई सुविधाएँ राज्य की कृषि को विशिष्ट बनाती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद आधुनिक कृषि तकनीकों, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है।
- **आर्थिक समीक्षा 2025-26** के अनुसार राज्य सरकार का लक्ष्य **"विकसित राजस्थान @2047"** के अंतर्गत कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ (Sustainable), जल-संरक्षण आधारित एवं किसान-केंद्रित बनाना है।
- **कृषि क्षेत्र (25.7%):** रोज़गार और मूल्यवर्द्धन दोनों के मामले में **कृषि एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता बनी हुई है।** हालाँकि सेवाओं की तुलना में GSVA में इसकी हिस्सेदारी कुछ कम हुई है।
- सेवा क्षेत्र की तुलना में कम हिस्सेदारी के बावजूद, यह **60-62% से अधिक आबादी** को रोज़गार प्रदान करता है। खाद्यान्न उत्पादन **283.98 लाख मीट्रिक टन** तक पहुँच गया है।
- कृषि क्षेत्र ग्रामीण आजीविका का आधार बना हुआ है, जबकि राज्य की योजनाओं के तहत **बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन** जैसी संबद्ध गतिविधियों में विविधीकरण तेज़ी पकड़ रहा है।
- राजस्थान में लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।
- यहाँ कुल कामगारों में 60-62 प्रतिशत कामगार जीवनयापन के लिए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर निर्भर है।

10वीं कृषि गणना (2015-16)

- कृषि गणना भारत में हर 5 वर्ष में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है। वर्तमान में 2015-16 की कृषि गणना भारत की 10वीं कृषि गणना थी ।
- 11वीं कृषि गणना – 2021-22 (केंद्र सरकार द्वारा संचालित, कार्य प्रगति पर; अंतिम विस्तृत रिपोर्ट अभी पूरी तरह प्रकाशित नहीं हुई है।)
- कृषि गणना की संदर्भ अवधि जून-जुलाई है।
- राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का 32 प्रतिशत भाग ही सिंचित क्षेत्र है।
- राजस्थान में औसत कृषि जोत 2.73 हैक्टेयर है। जबकि भारत में औसत कृषि जोत 1.41 हैक्टेयर है।
- राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार बाड़मेर जिले में जबकि कृषि जोतों का सबसे छोटा औसत आकार डूंगरपुर जिले में पाया जाता है।
- देश में कृषि जोतों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देश में 8वाँ है।
- राजस्थान में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हैक्टेयर है। जिसमें से पुरूष व महिलाओं का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 191.08 व 16.55 लाख हैक्टेयर है।
- राजस्थान में कुल क्रियाशील कृषि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। जिसमें से पुरूष व महिला जोतो की संख्या क्रमशः 68.8 लाख व 7.75 लाख है।
- औसत महिला जोत का क्षेत्रफल **2.13 हैक्टेयर** है।
- **राजस्थान में बंजर भूमि -** 10.39% (राज्य के कुल क्षेत्रफल की)
- राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर जबकि न्यूनतम व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला **हनुमानगढ़** है।
- सर्वाधिक पड़त/परती भूमि वाला जिला बाड़मेर व बीकानेर जबकि सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला पाली है।
- **न्यूनतम पड़त/परती भूमि वाला जिला -** प्रतापगढ़
  राजस्थान में कृषि का बोया जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर व द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर में है।
- जिले के कुल कृषि क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला गंगानगर (84.91 प्रतिशत) जबकि न्यूनतम सिंचित प्रतिशत वाला जिला चूरू (18 प्रतिशत) है।
- **राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसलें क्रमशः** सरसों (प्रथम), गेहूँ (द्वितीय), कपास (तृतीय), चना (चतुर्थ), मूंगफली (पंचम)

कृषि के प्रकार

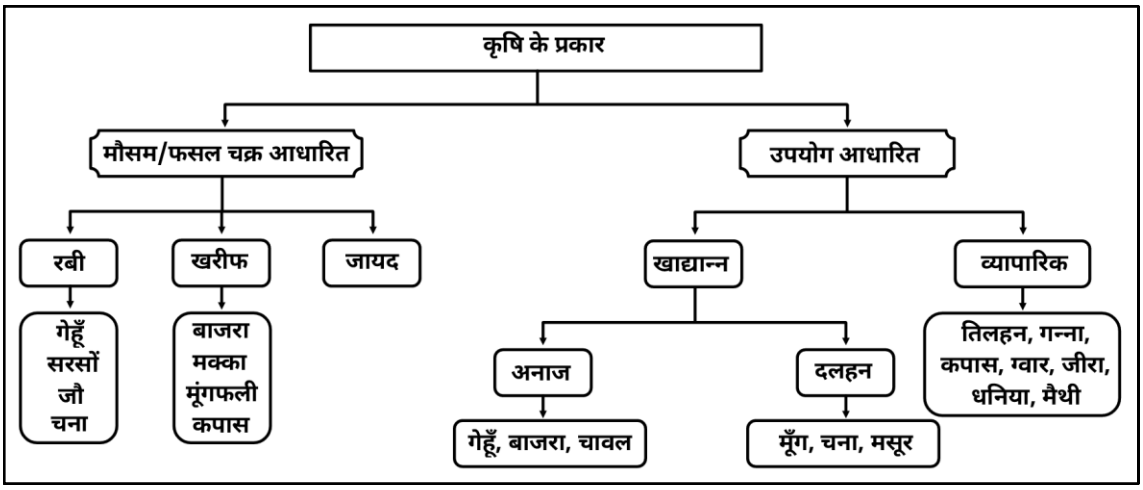

फसल उत्पादन	(LMT – लाख मैट्रिक टन)
	खाद्यान्न उत्पादन (2025–26) 283.98 LMT (8.28% की कमी) अनाज 236.85 LMT – खरीफ 69.03 LMT (26.71% की कमी) – रबी 167.82 LMT (3.35% की कमी) दलहन 47.13 LMT – खरीफ 20.52 LMT (2.34% की वृद्धि) – रबी 26.61 LMT (22.34% की वृद्धि)
तिलहन	**2025–26 (LMT)**: 100.46 **परिवर्तन**: 7.18% वृद्धि
गन्ना	**2025–26 (LMT)**: 3.61 **परिवर्तन**: 22.37% कमी
कपास	**2025–26**: 17.94 लाख गांठें **परिवर्तन**: 0.34% वृद्धि

विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान :

राजस्थान प्रथम	बाजरा, राई/सरसों, कुल तिलहन, ग्वार, मोटा अनाज
राजस्थान द्वितीय	मूंगफली
राजस्थान तृतीय	कुल दलहन, चना, सोयाबीन

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (% में)
1.	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	88.80
2.	राई/सरसों	राजस्थान	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	43.43
3.	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	41.34
4.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात	23.61
5.	मोटा अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	14.21
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	मध्य प्रदेश	19.91
7.	चना	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	17.39
8.	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.76
9.	सोयाबीन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	8.96

स्त्रोत – भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी – 2024 के आधार पर

उत्पादन एवं उत्पादकता :- कृषि वृद्धि के प्रेरक तत्व

राज्य में कृषि उत्पादकता कम होने के कारण

कृषि क्षेत्र (उत्पादकता) के समक्ष चुनौतियाँ –	राज्य में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय :-
– जल संकट – अनियमित मानसून	– जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना – ड्रिप सिंचाई
– जलवायु परिवर्तन–शुष्क जलवायु प्रदेश	– सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा – बाजरा, दालें
– वित्तीय संसाधनों का अभाव	– कृषि वानिकी व पशुपालन का एकीकरण
– भण्डार व विपणन समस्याएं	– मिट्टी का क्षरण रोकना :-
– तकनीकी नवाचार से असहजता	▪ फसल चक्र
– सीमित कृषि योग्य भूमि	▪ शून्य जुताई (पड़त भूमि)
	▪ वर्षा जल संचयन
	▪ रासायनिक व जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग

- **1. मिश्रित कृषि -** कृषि के साथ-साथ पशुपालन
- **2. बारानी कृषि -** असिंचित क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित हो, बारानी कृषि कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है-
  (i) शुष्क कृषि - जैसलमेर, बीकानेर में।
  (ii) आर्द्र कृषि - बाराँ, झालावाड़, कोटा में।
- **3. मोनो कल्चर -** एक क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना।
- **4. ड्यूओ कल्चर -** एक वर्ष में 2 फसल प्राप्त करना।
- **5. ओलीगो कल्चर -** एक वर्ष में 3 फसल प्राप्त करना।
- **6. रिले कल्चर -** एक वर्ष में 4 फसल प्राप्त करना।
- **7. ट्रक कृषि -** प्रशीतक गाड़ियों द्वारा एक दिन में फल-सब्जियों को बाजार तक पहुँचाना।
- **8. स्थानांतरित कृषि -** राजस्थान में इस कृषि को वालरा कहते हैं।
- राजस्थान के दक्षिणी भाग में आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में सर्वाधिक स्थानान्तरित कृषि की जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानान्तरित कृषि करने वाली जनजाति भील हैं।

- **वालरा -** राजस्थान में गरासियों द्वारा की जाने वाली स्थानान्तरित कृषि।
- **चिमाता -** भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलो को जलाकर की जाने वाली स्थानान्तरित कृषि।
- **दजिया -** भीलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है।

कृषि के वैज्ञानिक प्रकार	
कृषि	**उत्पादन**
सेरीकल्चर (Sericulture)	रेशम या रेशम कीट
पिसीकल्चर (Pisciculture)	मछली (Fish)
एपीकल्चर (Apiculture)	शहद (Honey / Bee)
विटीकल्चर (Viticulture)	अंगूर (Grapes)
हॉर्टीकल्चर (Horticulture)	बागवानी जैसे फल, फूल, सब्जी
पोमोकल्चर (Pomoculture)	फल (Fruit)
फ्लोरीकल्चर (Floriculture)	फूल (Flowers)
ऑलेरीकल्चर (Olericulture)	सब्जियां (Vegetables)
सिल्वीकल्चर (Silviculture)	वन (Forest)
वर्मीकल्चर (Vermiculture)	केंचुआ या वर्मीकम्पोस्ट

महत्त्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ	
गुलाबी क्रांति	प्याज, औषधि व झींगा मछली का उत्पादन
सिल्वर (रजत) क्रांति	अण्डा उत्पादन
सफेद क्रांति/ऑपरेशन फ्लड	दुग्ध उत्पादन
हरित क्रांति	खाद्यान्न उत्पादन
भूरी क्रांति	खाद्यान्न प्रसंस्करण व उर्वरक उत्पादन
बादामी क्रांति	मसालों के उत्पादन
पीली क्रांति	तिलहन उत्पादन/सरसों उत्पादन
नीली क्रांति	मत्स्य पालन
लाल क्रांति	माँस एवं टमाटर उत्पादन
गोल क्रांति	आलू उत्पादन
इन्द्रधनुषी क्रांति	सभी क्रांतियो पर निगरानी हेतु नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2008 के तहत

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान (GVA)

- **स्थिर कीमतों (2011-12) पर**
- 2021-22 → ₹1.92 लाख करोड़
- 2025-26 → ₹2.23 लाख करोड़
- CAGR → **3.82%**
- **प्रचलित कीमतों पर**
- 2021-22 → ₹3.23 लाख करोड़
- 2025-26 → ₹4.41 लाख करोड़
- CAGR → **8.10%**
- **राजस्थान के GVA में योगदान**
- 2025-26 → **25.74%**
- **कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान**

उपक्षेत्र	योगदान
पशुधन	**49.35%** (सर्वाधिक)
फसल	42.61%
वानिकी एवं लॉगिंग	7.49%
मत्स्य	0.54%

- **महत्वपूर्ण तथ्य**
- पशुधन क्षेत्र में **दूध** का सर्वाधिक योगदान (79.60%) है।

कृषि उत्पादन – राजस्थान का राष्ट्रीय स्थान

- **प्रथम**
- बाजरा
- राई/सरसों
- कुल तिलहन
- ग्वार
- मोटा अनाज
- **द्वितीय**
- मूंगफली
- **तृतीय**
- चना
- कुल दलहन
- सोयाबीन
- **देश के उत्पादन में योगदान**

फसल	योगदान
ग्वार	**88.80%**
राई/सरसों	43.43%
बाजरा	41.34%
कुल तिलहन	23.61%
मूंगफली	19.91%

बीज एवं मृदा स्वास्थ्य

- **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना**
- प्रारम्भ → **2017**
- पूरे राज्य में → 2018-19
- उद्देश्य → किसानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन
- गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ व उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन।
- किसानों में विभिन्न फसलों की नवीन जारी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से नि:शुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराये जाते है।
- **नोडल एजेंसी – राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL)**
- **प्रमाणन –** राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी
- **मृदा स्वास्थ्य योजना**
- शुरू :- 19 फरवरी 2015 (मोदी जी द्वारा)
- प्रारंभ :- सूरतगढ़ (गंगानगर)
- प्रथम कार्ड प्राप्तकर्ता :- निर्मल सिंह
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।
- रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग।
- जलवायु एवं मृदा के अनुरूप खेती करे।
- वित्तीय पैटर्न :- 60 : 40 (केन्द्र : राज्य)
- टैगलाइन :- स्वस्थ धरा-खेत हरा
- कार्ड की समयावधि - 2 वर्ष।
- मृदा के 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है।
- मृदा अम्लीयता एवं क्षारीयता की जांच
- **गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना :-**
- उद्देश्य :- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु।

- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) के उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹ 10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके आवेदन - राज किसान पोर्टल पर ऑनलाईन किए जा सकते हैं।

कृषि क्लीनिक –

- उद्देश्य:- किसानों को सेवायें उपलब्ध करवाना जैसे – मृदा परीक्षण, फसलों की जानकारी, कीट / रोग उपचार जानकारी।
- सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किये जायेंगे।

प्रस्तावित –

- 2024-25 में 20 (स्थापित), 2025-26 में 13 (प्रगतिशील)

नमो ड्रोन दीदी योजना

- उद्देश्य :- कृषि में नवाचारों का समावेश जैसे– ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया व कीटनाशकों का छिड़काव।
- इसके अंतर्गत भारत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 1070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।

पशु सखी और कृषि सखी

- राजीविका की गतिविधियां मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित
- पशु सखी – 37,369 कार्यरत
- कृषि सखी – 36,787 कार्यरत

कृषि ऋण एवं सहकारिता

राज्य में

- केंद्रीय सहकारी बैंक → **29**
- प्राथमिक भूमि विकास बैंक → **36**
- PACS → **9086**

प्रमुख योजनाएँ

शून्य ब्याज फसल ऋण

- अल्पकालीन कृषि ऋण की समय पर अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में फसल ऋण की राशि चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- इसके माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किये जाते है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड

- उद्देश्य:- कृषि एवं डेयरी/दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों को सहयोग प्रदान करना तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु।
- ऋण– ₹ 1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण
- लक्ष्य– 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवार।
- RAJSSO पोर्टल (राज सहकार एप के माध्यम से)
- बजट : 150 करोड़

कृषि उपज गिरवी ऋण :

- कृषको को कृषि उपज गिरवी रखने पर 3 प्रतिशत की दर से ऋण उपलबध करवाया जा रहा है।

सहकार किसान कल्याण योजना

- फसल ऋण के अतिरिक्त कृषि संबंधित आवश्यकतओं हेतु ऋण
- केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की शाखाओं द्वारा अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण

कृषि अवसंरचना निधि (AIF)

- अवधि– 2020 से 2032
- उद्देश्य– फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण करना।
- ₹ 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि
- प्रावधान– ₹ 2 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना

- इस योजना के तहत सहकारी बैंको के द्वारा ग्रामीण कार्यक्रम गैर-कृषि गतिविधियों से आजीविका अर्जित करने वाले ग्रामीण किसान परिवारों और लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों के सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना : राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गैर-कृषि गतिविधियों के लिए 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

फसल बीमा

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारम्भ 18 फरवरी 2016
- यह एक कृषि बीमा योजना है।
- स्थानीय आपदाओं से भी बीमा कवरेज दिया जाता है।
- इस योजना में खाद्यान्न फसले तिलहन, वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल है।
- फसल कटाई के प्रयोग वाले प्राथमिक श्रमिकों को प्रीमियम सब्सिडी एवं प्रोत्साहन के भूगतान के लिए एक राज्य वित्त पोषित योजना चल रही है।

प्रीमियम

फसल	प्रीमियम
खरीफ	2%
रबी	1.5%
वाणिज्यिक	5%

सतत कृषि एवं बागवानी

- राजस्थान में उद्यानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)

- उद्देश्य– फलोद्यान, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, जल संग्रहण संरचना व प्याज भण्डारण संरचना निर्माण पर बल।
- राजस्थान के 41 जिलों में
- फल–फूलों, मसालों का उत्पादन बढ़ाना।

दिसम्बर 2025 तक स्थापित :

- 2358 हेक्टेयर में फलोद्यान स्थापित।
- 9 वर्मी–कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित।
- 19 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- 1129 कम लागत वाली प्याज भण्डारण संरचना स्थापित।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- शुरुआत 2007–08
- केन्द्र : राज्य – 60 : 40
- उद्देश्य – कृषि में निवेश को बढ़ाना।
- संरक्षित खेती को बढ़ावा देने तथा नर्सरी विकास के लिए धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बस्सी (जयपुर) एवं नांता (कोटा) में उत्कृष्टता केंद्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित।

3. एग्रो फोरेस्ट्री योजना –

- सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली नई नर्सरियों की स्थापना एवं विद्यमान नर्सरियों में पौध उत्पादन का प्रावधान।
- वर्ष 2025–26 में राज्य के तीन अलग–अलग स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्रों में 4 उच्च तकनीक वाली नर्सरियां स्थापित की जा रही है।
- वर्ष 2025–26 में ₹285 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

4. राष्ट्रीय बांस मिशन – केन्द्रीय प्रायोजित योजना

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बांस पौधों के उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास किया जायेगा।
- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

प्रमुख कृषि मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)

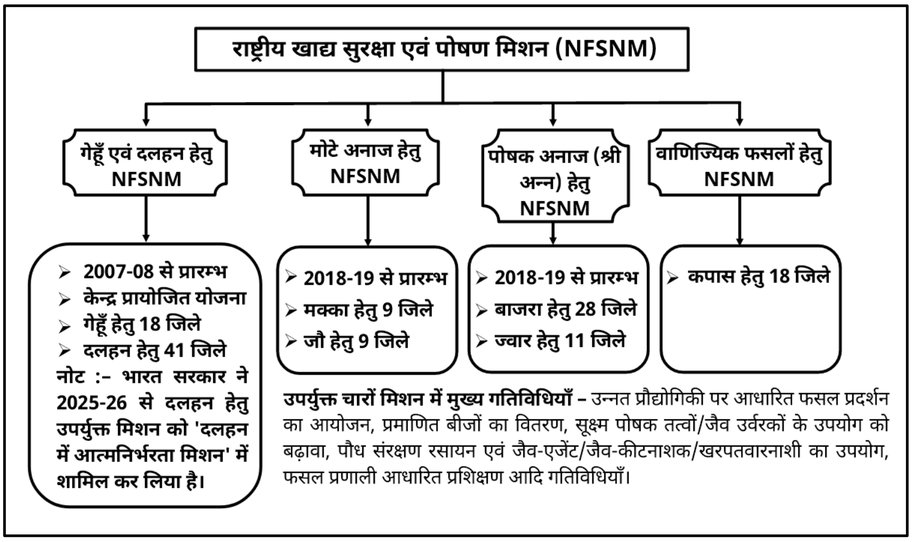

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

- केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया। प्रारम्भ में यह मिशन गेहूँ एवं दलहन फसलों के लिए संचालित किया गया। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य का वित्तीय योगदान क्रमश: 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।
- मिशन के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित फसल प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों का वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा, जिप्सम का प्रयोग, पौध संरक्षण रसायनों, जैव-एजेंट, जैव-कीटनाशकों एवं खरपतवारनाशियों का उपयोग, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण तथा खेतों की फेंसिंग (बाड़बंदी) जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

2. गेहूँ एवं दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- राज्य में रबी 2007-08 से गेहूँ एवं दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- वर्ष 2025-26 में गेहूँ की खेती के लिए राज्य के 18 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर तथा भीलवाड़ा शामिल हैं।
- दलहन फसलों के अंतर्गत राज्य के सभी 41 जिलों को सम्मिलित किया गया है।
- भारत सरकार ने रबी 2025-26 से दलहन संबंधी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन का विलय "दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना में कर दिया है।
- इस नई योजना का उद्देश्य राज्य में दलहन उत्पादन बढ़ाना, विशेष रूप से तुअर, उड़द एवं मसूर की खेती को प्रोत्साहित करना, जलवायु-अनुकूल बीजों के उत्पादन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना, दलहन के क्षेत्रफल का विस्तार करना तथा कटाई उपरांत भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देना है।
- इसके अतिरिक्त एनसीसीएफ (NCCF) एवं नेफेड (NAFED) के माध्यम से तुअर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अन्य दलहनों की खरीद पीएम-आशा योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। प्रोटीन सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह मिशन वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।

3. मोटे अनाज हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत मक्का एवं जौ को भी शामिल किया गया।
- वर्ष 2025-26 में मक्का की खेती के लिए राज्य के 09 जिलों— बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमन्द—को चयनित किया गया है।
- इसी प्रकार जौ की खेती के लिए 09 जिलों— अजमेर, ब्यावर, जयपुर, डीडवाना-कुचामन, सीकर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं भीलवाड़ा—को मिशन में सम्मिलित किया गया है।

4. पोषक अनाज (श्री अन्न) हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- वर्ष 2018-19 से बाजरा एवं ज्वार को पोषक अनाज (श्री अन्न/न्यूट्रीसीरियल्स) की श्रेणी में शामिल करते हुए मिशन के दायरे का विस्तार किया गया।
- वर्ष 2025-26 में ज्वार की खेती के लिए 11 जिले— अजमेर, ब्यावर, जयपुर, टोंक, नागौर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़—शामिल किए गए हैं।

- वहीं बाजरा उत्पादन के लिए 28 जिलों— अजमेर, ब्यावर, दौसा, जयपुर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, जालौर, पाली एवं सिरोही—को सम्मिलित किया गया है।

5. वाणिज्यिक फसलों हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन

- वर्ष 2025-26 में वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कपास की खेती के लिए राज्य के 18 जिलों को चयनित किया गया है। इनमें अजमेर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, भरतपुर, डीग, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, फलोदी, पाली, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

- **प्रारम्भ – 2025-26**
- **मुख्य तथ्य**
- 2000 क्लस्टर
- 2.50 लाख किसान
- 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र
- उद्देश्य – राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना ।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

- प्रारम्भ → **11 अक्टूबर 2025**
- अवधि → **6 वर्ष**
- राजस्थान के **8 जिले** शामिल – बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चुरु, नागौर
- उद्देश्य – कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, विविधता, आय एवं सततता को बढ़ावा देना।
- 11 मंत्रालयों एवं विभागों की 36 प्रमुख योजनाओं को एकीकृति किया गया है।
- देश में 100 आकांक्षी कृषि जिलों में लागू।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

- उद्देश्य – राज्य मे विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार एकीकृति कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- वित्त पोषण – 60 : 40 (केन्द्र : राज्य)

कटाई उपरांत प्रबंधन

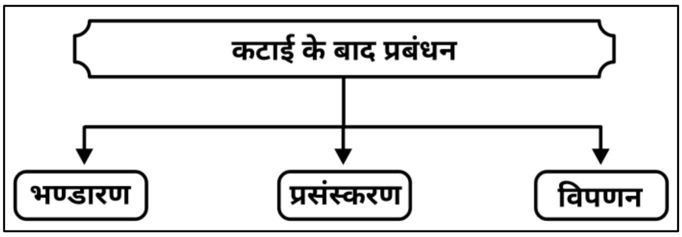

- **प्रबंधन के उद्देश्य**
- गुणवत्ता सुधार
- अपव्यय कम करना
- रोजगार सृजन करना
- किसानों की आय बढ़ाना
- आर्थिक विकास
- कीटों से होने वाला नुकसान रोकना।
- उत्पादों का बाजार मुल्य बढ़ाना
- आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।

भण्डारण

- **प्रमुख एजेंसी – राजस्थान राज्य भण्डारण निगम**
- 36 जिलों में **97 गोदाम**
- क्षमता → **17.25 लाख मीट्रिक टन**
- **भंडारण शुल्क छूट**
- SC/ST → 70%
- FPO → 60%
- सामान्य किसान → 30%

प्रसंस्करण

- **Rising Rajasthan Summit, 2024**
- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित Rising Rajasthan Summit, 2024 के अंतर्गत कुल 2524 समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME)**
- यह योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
- **उद्देश्य –** देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करना।
- राज्य की नोडल एजेंसी – राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB)
- वित्तीय भागीदारी – केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- योजना अवधि – प्रारम्भिक अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है।

प्रमुख प्रावधान

- व्यक्तिगत श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए परियोजना लागत का 35% अथवा अधिकतम ₹10 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कार्यशील पूंजी हेतु ₹40,000 की सीड मनी उपलब्ध कराई जाती है।
- साझा अवसंरचना के विकास के लिए परियोजना लागत का 35% अथवा अधिकतम ₹3 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है।
- उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- स्वीकृत अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है तथा तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूर्ण होने के बाद ऋण खाते में समायोजित कर दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में 8 इन्क्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किए गए हैं।
- **राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, 2025**
- आयोजन 8 सितम्बर, 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा विकसित 'राज स्पाइस एप' का शुभारंभ किया गया।
- **फूड पार्क विकास एवं भूमि आवंटन नीति, 2024**
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फूड पार्क विकास एवं भूमि आवंटन नीति, 2024 लागू की गई।
- **राजस्थान निवेश संवर्धन नीति (RIPS), 2024**
- एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के लिए प्रोत्साहन
- सामान्य श्रेणी की इकाइयों को पूँजी निवेश का 50% अथवा अधिकतम ₹15 करोड़ तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को इसके अतिरिक्त 5% पूँजी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

विपणन

- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई।
- कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1980 में हुई।

कृषक उपहार योजना

- यह योजना जनवरी, 2022 से संचालित की जा रही है।
- ई-नाम पोर्टल के माध्यम से उपज विक्रय पर लाभ
- प्रत्येक ₹10,000 की बिक्री पर एक कूपन प्रदान किया जाता है।
- उपज के कुल विक्रय मूल्य के गुणक के आधार पर अतिरिक्त कूपन भी दिए जाते हैं।

सहकारी विपणन संरचना

- राज्य में 285 क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ एवं फल-सब्जी विपणन समितियाँ कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला, 2025

- आयोजन अवधि 9 से 18 मई, 2025 रही।
- आयोजन स्थल जवाहर कला केन्द्र, जयपुर था।

सहकारी उपभोक्ता संरचना

उद्देश्य

- उपभोक्ताओं को कालाबाजारी तथा बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी जैसी समस्याओं से संरक्षण प्रदान करना।

प्रमुख तथ्य

- राज्य में 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत हैं, जो 33 जिला स्तरों पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- उपभोक्ता सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (CONFED) शीर्ष (Apex) संस्था के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. **कुल अनाज उत्पादन 2025-26**

	2024-25	2025-26
कुल अनाज उत्पादन	267.82 LMT	236.85 LMT

2. **कुल दलहन उत्पादन 2025-26**

	2024-25	2025-26
कुल दलहन उत्पादन	41.80 LMT	47.13 LMT

3. **कुल अनाज उत्पादन - 236.85 LMT**

रबी उत्पादन (167.82 LMT)	खरीफ उत्पादन (69.03 LMT)
नकारात्मक वृद्धि दर (-3.35%)	नकारात्मक वृद्धि दर (-26.71%)

4. **कुल दलहन उत्पादन 47.13 LMT**

रबी उत्पादन (26.61 LMT)	खरीफ उत्पादन (20.52 LMT)
वृद्धि दर (22.34%)	वृद्धि दर (2.34%)

5. **कुल तिलहन उत्पादन**

	2024-25	2025-26	वृद्धि दर (2025-26)
कुल तिलहन उत्पादन	93.73 LMT	100.46 LMT	7.18%

6. **गन्ना उत्पादन**

(2024-25)	(2025-26)	नकारात्मक वृद्धि दर (2025-26)
4.65 LMT	3.61 LMT	22.37%

7. **कपास उत्पादन (1 गांठ = 170 किग्रा)**

2024-25	(2025-26)	वृद्धि दर (2025-26)
17.88 लाख गांठें	17.94 लाख गांठें	0.34%

राज्य के प्रमुख कृषि उत्कृष्टता केंद्र

क्र.सं.	उद्यानिकी फसल	स्थान
1.	खट्टे फल या साइट्रस उत्कृष्टता केन्द्र	नांता, कोटा
2.	डेगन फ्रूट व अनार उत्कृष्टता केन्द्र	ढिंढोल, बस्सी (जयपुर)
3.	खजूर उत्कृष्टता केन्द्र	सागर भोजका, जैसलमेर
4.	अमरूद उत्कृष्टता केन्द्र	सवाईमाधोपुर तथा देवडावास, टोंक
5.	सब्जी-फल उत्कृष्टता केन्द्र	बूंदी
6.	संतरा, मसालें तथा औषधीय पेड़ों के लिये उत्कृष्टता केन्द्र	झालावाड़
7.	आंवला, आम, बेर, जैतून उत्कृष्टता केन्द्र	खेमरी, धौलपुर
8.	फूल उत्कृष्टता केन्द्र	सवाईमाधोपुर
9.	सीताफल उत्कृष्टता केन्द्र	चितौड़गढ़
10.	नारीयल उत्कृष्टता केन्द्र	बीसलपुर, टोंक
11.	जैविक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र	झालावाड़
12.	पपीता उत्कृष्टता केन्द्र	बहरावण्डा, दौसा
13.	अंजीर उत्कृष्टता केन्द्र	सिरोही
14.	मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र	जोधपुर
15.	मक्का उत्कृष्टता केन्द्र	उदयपुर, बांसवाड़ा
16.	लहसून उत्कृष्टता केन्द्र	बारां
17.	एपीकल्चर उत्कृष्टता केन्द्र	टोंक, भरतपुर (प्रस्तावित)
18.	बायोफ्यूल उत्कृष्टता केन्द्र	गोगुंदा (उदयपुर)
19.	पिस्ता उत्कृष्टता केन्द्र	लूणकरणसर (बीकानेर)

अभ्यास प्रश्न

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—**
1. राजस्थान के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32% भाग सिंचित है।
2. राजस्थान में औसत कृषि जोत भारत की औसत कृषि जोत से कम है।
3. राजस्थान में सर्वाधिक औसत कृषि जोत बाड़मेर जिले में पाई जाती है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3` **[b]**

2. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—**
1. बारानी कृषि पूर्णतः वर्षा पर आधारित असिंचित कृषि है।
2. शुष्क बारानी कृषि मुख्यतः बारां एवं झालावाड़ में की जाती है।
कूट:
(a) दोनों कथन सही हैं तथा 2, 1 की सही व्याख्या है।
(b) दोनों कथन सही हैं, परन्तु 2, 1 की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।
(d) कथन 1 गलत है, परन्तु कथन 2 सही है। **[c]**

3. **सूची I एवं सूची II को सुमेलित कीजिए –**

सूची I (कृषि प्रकार)	**सूची II (विशेषता)**
1. मोनो कल्चर	**A. एक वर्ष में चार फसलें**
2. ड्यूओ कल्चर	**B. एक वर्ष में एक फसल**
3. रिले कल्चर	**C. एक वर्ष में दो फसलें**
4. ओलीगो कल्चर	**D. एक वर्ष में तीन फसलें**

सही मिलान का चयन कीजिए—
(a) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
(b) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D
(c) 1-C, 2-B, 3-D, 4-A
(d) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A **[b]**

4. **नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए –**
कथन (Assertion): राजस्थान में बाजरा खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है।
कारण (Reason): बाजरा कम वर्षा तथा रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी तरह उगाया जा सकता है।
(a) कथन और कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।
(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन सही है, किन्तु कारण गलत है।
(d) कथन गलत है, किन्तु कारण सही है। **[a]**

5. **निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?**
(a) राजस्थान में स्थानांतरण कृषि को वालरा कहा जाता है।
(b) भीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है।
(c) दजिया भीलों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि है।
(d) राजस्थान में स्थानांतरण कृषि सर्वाधिक जाट जनजाति द्वारा की जाती है। **[d]**

6. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—**
1. सरसों राजस्थान की प्रमुख रबी तिलहनी फसल है।
2. सोयाबीन खरीफ तिलहनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है।
3. मूंगफली मुख्यतः रबी ऋतु की फसल है।
सही उत्तर चुनिए—
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3 **[b]**

7. **सूची I एवं सूची II को सुमेलित कीजिए –**

सूची I (कृषि क्रांति)	**सूची II (संबंधित क्षेत्र)**
1. पीली क्रांति	**A. मत्स्य पालन**
2. नीली क्रांति	**B. तिलहन**
3. सफेद क्रांति	**C. दुग्ध उत्पादन**
4. सिल्वर क्रांति	**D. अंडा उत्पादन**

सही मिलान का चयन कीजिए—
(a) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
(b) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
(c) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D
(d) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A **[a]**

8. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—**
1. ईसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का विश्व में महत्वपूर्ण योगदान है।
2. ईसबगोल अनुसंधान केन्द्र मण्डोर (जोधपुर) में स्थित है।
कूट:
(a) दोनों कथन गलत हैं।
(b) दोनों कथन सही हैं।
(c) कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है।
(d) कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। **[b]**

9. **नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए –**
कथन (Assertion): राजस्थान में ग्वार का उत्पादन मुख्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में होता है।
कारण (Reason): ग्वार के दानों से प्राप्त ग्वार गम का उपयोग औषधि, कागज, वस्त्र तथा सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में किया जाता है।
(a) कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।
(b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन सही है, किन्तु कारण गलत है।
(d) कथन गलत है, किन्तु कारण सही है। **[b]**

10. **निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?**
(a) राजस्थान में पिस्ता उत्कृष्टता केन्द्र कोटा में स्थित है।
(b) खजूर उत्कृष्टता केन्द्र बीकानेर में स्थित है।
(c) मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र जोधपुर में स्थापित है।
(d) जैविक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र उदयपुर में स्थित है। **[c]**

♦♦♦♦

विज्ञापन

लक्ष्य क्लासेज उदयपुर

मुश्किल परीक्षाएँ भी आसान लगेगी जब तैयारी होगी लक्ष्य क्लासेस के साथ

CET 12th & Graduation level

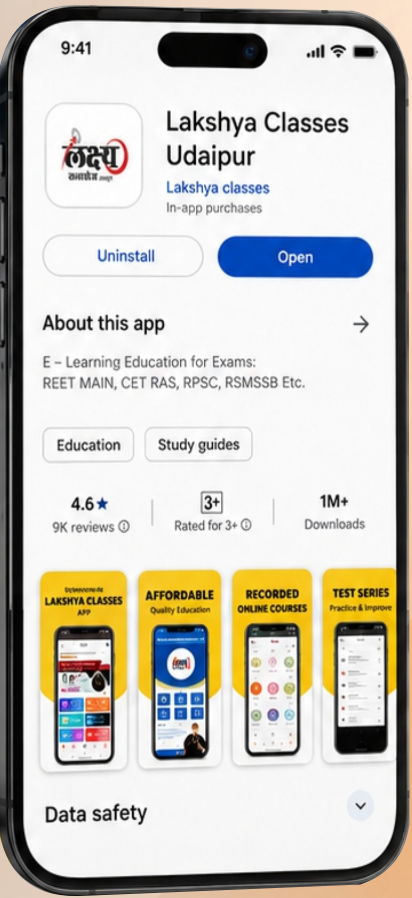

राजस्थान की अनुभवी टीम, अब एक ही प्लेटफार्म पर

OFFLINE & ONLINE LIVE FROM CLASSROOM AND RECORDED COURSE

Anil Choudhary Sir – Math And Reasoning
Rahul Sir – Science
Ratan Sir – Rajasthan History
S.K. Sir – Rajasthan Geography
Nagvinder Sir – Indian & Rajasthan Polity
Pankaj Sir – Art & Culture
Mukesh Sir – हिन्दी

Scan to Download Lakshya App Now
Google play

MRP : ₹ 120

व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

क्यों हैं लक्ष्य क्लासेज विशेष?

- व्यापक अध्ययन सामग्री
- MCQ की बुकलेट
- नियमित टेस्ट सीरीज
- पूर्णत: समर्पित यूट्यूब चैनल
- मासिक करंट अफेयर्स मैगज़ीन
- लाइब्रेरी सुविधा
- ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस
- अनुभवी एवं योग्य फैकल्टी
- सुसज्जित स्मार्ट क्लासरूम
- नियमित काउंसलिंग

S.No.AP0133 CODE : APDO(35) NRT

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान
लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur